

(दिनांक 03.04.2023को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए)



भारत सरकार,
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय,
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग,
कर्मचारी चयन आयोग,
ब्लॉक सं12 ., केंद्रीय कार्यालय परिसर,
लोधी रोड, नई दिल्ली -110003

Government of India,
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions,
Department of Personnel and Training,
Staff Selection Commission,
Block No. 12, CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi – 110003.

(आयोग की वेबसाइट : <https://ssc.nic.in>)

विज्ञप्ति

संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2023

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथियां	03-04-2023से 03-05-2023
ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि और समय	03-05-2023 (23:00बजे तक)
ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि और समय	04-05-2023 (23:00 बजे तक)
ऑफलाइन चालान तैयार करने की अंतिम तिथि और समय	04-05-2023 (23:00 बजे तक)
चालान के माध्यम से भुगतान करने की अंतिम तिथि (बैंक के कार्य समय के दौरान)	05-05-2023
ऑनलाइन भुगतान सहित 'आवेदन में संशोधन करने हेतु विंडो ' की तिथियां।	07-05-2023से 08-05-2023 (23:00 बजे तक)
टियर- I परीक्षा का अनंतिम कार्यक्रम (कंप्यूटर आधारित परीक्षा)	जुलाई , 2023
टियर- II परीक्षाका अनंतिम कार्यक्रम (कंप्यूटर आधारित परीक्षा)	बाद में अधिसूचित किया जाएगा ।

“सरकार एक ऐसा कार्यदल बनाने का प्रयास करती है जिसमें लिंग संतुलन प्रतिबिम्बित हो और महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्सहित किया जाता हो।”

फा.सं. मु. - नी.यो.। 03/10/2023 - नी.यो.-I:कर्मचारी चयन आयोग भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों और विभिन्न सांविधानिक निकायों/सांविधिक निकायों/ न्यायाधिकरणों आदि में विभिन्न समूह 'ख'

और समूह 'ग' पदों को भरने के लिए संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2023 आयोजित करेगा। परीक्षा के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

2. पदों का ब्यौरा:- इस परीक्षा के माध्यम से भरे जाने वाले संभावित पदों का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

2.1 वेतन स्तर -8 (₹ 47600 से 151100):				
क्रम सं.	पद का नाम	मंत्रालय/विभाग/कार्यालय/संवर्ग	पदों का वर्गीकरण	आयु सीमा
1	सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी	नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अंतर्गत भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग	समूह "ख" राजपत्रित (गैर अनुसचिवीय)	18-30 वर्ष
2	सहायक लेखा अधिकारी	नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अंतर्गत भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग	समूह "ख" राजपत्रित(गैर अनुसचिवीय)	18-30 वर्ष
2.2 वेतन स्तर -7 (₹ 44900 से 142400):				
3	सहायक अनुभाग अधिकारी	केंद्रीय सचिवालय सेवा	समूह "ख"	20-30 वर्ष
4	सहायक अनुभाग अधिकारी	आसूचना ब्यूरो	समूह "ख"	18-30 वर्ष
5	सहायक अनुभाग अधिकारी	रेल मंत्रालय	समूह "ख"	20-30 वर्ष
6	सहायक अनुभाग अधिकारी	विदेश मंत्रालय	समूह "ख"	20-30 वर्ष
7	सहायक अनुभाग अधिकारी	सशस्त्र सेना मुख्यालय	समूह "ख"	20-30 वर्ष
8	सहायक अनुभाग अधिकारी	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	समूह "ख"	18-30 वर्ष
9	सहायक / सहायक अनुभाग अधिकारी	अन्य मंत्रालय/विभाग/संगठन	समूह "ख"	18-30 वर्ष
10	आयकर निरीक्षक	सीबीडीटी	समूह "ग"	18-30 वर्ष
11	निरीक्षक(केंद्रीय उत्पाद शुल्क)	सीबीआईसी	समूह "ख"	18-30 वर्ष

12	निरीक्षक (निवारक अधिकारी)			
13	निरीक्षक (परीक्षक)			
14	सहायक प्रवर्तन अधिकारी	प्रवर्तन निदेशालय, राजस्व विभाग	समूह "ख"	18-30 वर्ष
15	उप निरीक्षक	केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो	समूह "ख"	20-30 वर्ष
16	डाक निरीक्षक	डाक विभाग, संचार मंत्रालय	समूह "ख"	18-30 वर्ष
17	निरीक्षक	केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, वित्त मंत्रालय	समूह "ख"	18-30 वर्ष
2.3 वेतन स्तर -6 (₹ 35400 से 112400):				
18	सहायक / सहायक अनुभाग अधिकारी	अन्य मंत्रालय/विभाग/संगठन	समूह "ख"	18-30 वर्ष
19	कार्यकारी सहायक	सीबीआईसी	समूह "ख"	18-30 वर्ष
20	अनुसंधान सहायक	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी)	समूह "ख"	18-30 वर्ष
21	प्रभागीय लेखाकार	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अधीनस्थ कार्यालय	समूह "ख"	18-30 वर्ष
22	उप निरीक्षक	राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए)	समूह "ख"	18-30 वर्ष
23	उप निरीक्षक/ कनिष्ठ आसूचना अधिकारी	नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड (गृह मंत्रालय)	समूह "ख"	18-30 वर्ष
24	कनिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी	सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	समूह "ख"	18-32 वर्ष
2.4 वेतन स्तर -5 (₹ 29200 से 92300):				
25	लेखा परीक्षक	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अधीनस्थ कार्यालय	समूह "ग"	18-27 वर्ष
26	लेखा परीक्षक	सीजीडीए के अंतर्गत कार्यालय	समूह "ग"	18-27 वर्ष
27	लेखा परीक्षक	अन्य मंत्रालय/विभाग	समूह "ग"	18-27 वर्ष
28	लेखाकार	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय	समूह "ग"	18-27 वर्ष
29	लेखाकार	महालेखा नियंत्रक का कार्यालय	समूह "ग"	18-27 वर्ष

30	लेखाकार / कनिष्ठ लेखाकार	अन्य मंत्रालय/विभाग	समूह "ग"	18-27 वर्ष
2.4 वेतन स्तर -4 (₹ 25500 से 81100):				
31	डाक सहायक / छंटनी सहायक	डाक विभाग, संचार मंत्रालय	समूह "ग"	18-27 वर्ष
32	वरिष्ठ सचिवालय सहायक / प्रवर श्रेणी लिपिक	केंद्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा संवर्ग को छोड़कर केंद्र सरकार के अन्य कार्यालय	समूह "ग"	18-27 वर्ष
33	वरिष्ठ प्रशासनिक सहायक	सैन्य अभियांत्रिकी सेवाएं, रक्षा मंत्रालय	समूह "ग"	18-27 वर्ष
34	कर सहायक	सीबीडीटी	समूह "ग"	18-27 वर्ष
35	कर सहायक	सीबीआईसी	समूह "ग"	18-27 वर्ष
36	उप निरीक्षक	केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, वित्त मंत्रालय	समूह "ग"	18-27 वर्ष

टिप्पणी-I : आयोग पदों का अंतिम रूप से आबंटन योग्यता-सह-अभ्यर्थियों द्वारा दी गई पदों की वरीयताओं के आधार पर करता है और पद का एक बार आबंटन करने के बाद, किसी पद की शारीरिक/चिकित्सा/शैक्षिक मानकों की विशिष्ट अपेक्षाओं को पूरा न करने के कारण, आयोग द्वारा पदों के आबंटन में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। अन्य शब्दों में, उदाहरणतः यदि किसी अभ्यर्थी ने किसी उच्चतर पद के लिए वरीयता दी है और वह उस पद के लिए चयनित हो जाता है, ऐसे मामले में यदि वह [अब से वह (पुरुष/ स्त्री) कहा जाए] चिकित्सा/शारीरिक/शैक्षिक मानकों को पूरा नहीं कर पाता है, तो उसकी [अब से उसकी (पुरुष/ स्त्री)] अभ्यर्थिता को अस्वीकार कर दिया जाएगा और उसके बारे में किन्हीं अन्य वरीयताओं के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी-II: पदों के लिए वरीयता देते समय जब कभी आयोग द्वारा अपेक्षित हो, अभ्यर्थी यह ध्यान रखें कि इसमें निरीक्षक (केंद्रीय उत्पाद शुल्क/परीक्षक/निवारक आधिकारी), केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (वित्त मंत्रालय) में निरीक्षक और उप निरीक्षक, एनसीबी (गृह मंत्रालय) में उप निरीक्षक / कनिष्ठ आसूचना अधिकारी, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और राष्ट्रीय जांच एजेंसी में उप निरीक्षक इत्यादि जैसे कुछ ऐसे पद हैं, जिनकी शारीरिक मानकों, शारीरिक जांचों और चिकित्सा मानकों (जिनका उल्लेख अनुबंध-XVII में किया गया है) के संदर्भ में विशिष्ट अपेक्षाएं हैं। अभ्यर्थियों को अपनी वरीयताएं/विकल्प देने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे उक्त पदों की सभी अपेक्षाओं को पूरा करते हैं। अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन और संबंधित प्रयोक्ता विभागों के लिए नामांकन होने के पश्चात् प्रयोक्ता विभाग द्वारा शारीरिक मानकों का मापन, शारीरिक और चिकित्सा जांच कराई जाएगी।

टिप्पणी-III: इस भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले रिक्त पदों की संख्या, अभ्यर्थियों का योग्यता क्रम और उनकी किसी विशेष राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के वरीयता के आधार पर सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी / सहायक लेखा अधिकारी के पद के लिए चयनित उम्मीदवार को विभाग के अंतर्गत देश भर में फैले विभिन्न कार्यालयों में आवंटित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, वाणिज्य में स्नातक की डिग्री या वांछनीय योग्यता के साथ चयनित अभ्यर्थियों को प्रशासनिक आवश्यकता और रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर वाणिज्यिक स्टीम के लिए आवंटित किया जाएगा।

3. रिक्तियां एवं आरक्षण

3.1 अनंतिम रिक्तियां : लगभग 7,500 रिक्तियां हैं। तथापि रिक्तियों की सही संख्या का निर्धारण शीघ्र किया जाएगा। अद्यतित रिक्तियों की स्थिति, यदि होगी, तो पदवार और श्रेणीवार रिक्तियों के साथ आयोग की वेबसाइट (<https://ssc.nic.in> > Candidate's Corner > Tentative Vacancy) पर शीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी। अभ्यर्थी यह नोट कर लें कि आयोग द्वारा रिक्तियों का राज्य-वार / क्षेत्र-वार संग्रहण नहीं किया जाता है।

3.2 सभी श्रेणियों के पदों/सेवाओं हेतु अनुसूचित जाति(अजा), अनुसूचित जनजाति(अजजा), अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (आकव), भूतपूर्व सैनिक (भूपूसै) और बेंचमार्क दिव्यांगजन (बें.दि.) अभ्यर्थियों के लिए यथा-प्रयोज्य एवं अनुमत्य आरक्षण मांगकर्ता मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/संवर्गों द्वारा किए गए निर्धारण एवं दी गई सूचना के अनुसार और वर्तमान सरकारी आदेशों के अनुसार होगा।

3.3 भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियां केवल समूह 'ग' पदों के लिए आरक्षित होंगी।

3.4 आयोग दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. 38-16/2020-डीडी-III, दिनांक 04.01.2021 के अनुसार दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्लूडी) अधिनियम, 2016 के तहत अथवा मांगकर्ता विभागों / संगठनों द्वारा चिन्हित किए गए और सूचित किए गए विशिष्ट पदों के लिए विभिन्न बेंचमार्क दिव्यांगताओं के लिए पदों की उपयुक्तता पर विचार करेगा।

3.5 आयोग अभ्यर्थियों का चयन विभिन्न पदों के लिए मांगकर्ता विभागों/संगठनों द्वारा रिपोर्ट की गई रिक्तियों के अनुसार करता है। किसी मांगकर्ता विभाग / संगठन की रिक्तियों की संख्या का निर्धारण करने में आयोग की कोई भूमिका नहीं होती है। आरक्षण नीति का कार्यान्वयन, आरक्षण रोस्टर का रख-रखाव, विभिन्न श्रेणियों के लिए रिक्तियों का निर्धारण और विभिन्न बेंचमार्क दिव्यांगताओं के लिए पदों की उपयुक्तता की पहचान करना मांगकर्ता विभागों/संगठनों के अधिकार क्षेत्र (डोमेन) के अंतर्गत आते हैं।

4. राष्ट्रीयता/नागरिकता:

4.1 अभ्यर्थी या तो

4.1.1 भारत का नागरिक हो, या

4.1.2 नेपाल की प्रजा हो, या

4.1.3 भूटान की प्रजा हो, या

- 4.1.4 भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, यूगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टंगनिका व जंजीबार), जांबिया, मालावी, जायरे, इथोपिया और वियतनाम से प्रवर्जन किया हो।
- 4.2 बशर्ते कि उपर्युक्त (4.1.2), (4.1.3), (4.1.4) तथा (4.1.5) श्रेणियों का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया जा चुका हो।
- 4.3 ऐसे अभ्यर्थी, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाणपत्र आवश्यक है, को परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है, परन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसको (अब से स्त्री / पुरुष पढ़ा जाए) भारत सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाणपत्र जारी करने के बाद ही दिया जाएगा।

5 आयु सीमा (दिनांक 01.08.2023 के अनुसार)

5.1 विभिन्न पदों के लिए आयु सीमा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	आयु सीमा	टिप्पणी
(i)	वे पद जिनके लिए आयु सीमा 18- 27 वर्ष है	अभ्यर्थी का जन्म 02.08.1996 से पूर्व और 01.08.2005 के पश्चात न हुआ हो
(ii)	वे पद जिनके लिए आयु सीमा 20 - 30 वर्ष है	अभ्यर्थी का जन्म 02.08.1993 से पूर्व और 01.08.2003 के पश्चात न हुआ हो
(iii)	वे पद जिनके लिए आयु सीमा 18-30 वर्ष है	अभ्यर्थी का जन्म 02.08.1993 से पूर्व और 01.08.2005 के पश्चात न हुआ हो
(iv)	वे पद जिनके लिए आयु सीमा 18-32 वर्ष है	अभ्यर्थी का जन्म 02.08.1991 से पूर्व और 01.08.2005 के पश्चात न हुआ हो

5.2 आयु में छूट का दावा करने के लिए ऊपरी आयु सीमा में अनुज्ञेय छूट और श्रेणी कोड निम्नानुसार हैं:

कोड सं.	श्रेणी	ऊपरी आयु सीमा के अतिरिक्त आयु में अनुज्ञेय छूट
01	अजा/अजजा	5 वर्ष
02	अपिव	3 वर्ष
03	बेंचमार्क दिव्यांगजन (अनारक्षित)	10 वर्ष
04	बेंचमार्क दिव्यांगजन (अपिव)	13 वर्ष
05	बेंचमार्क दिव्यांगजन (अजा/ अजजा)	15 वर्ष
06	भूतपूर्व सैनिक (भूपूसै)	आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि

		घटाने के बाद 03 वर्ष
08	किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक	03 वर्ष
09	किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक (अजा/अजजा)	08 वर्ष
समूह 'ग' पदों के लिए ऊपरी आयु सीमा में अतिरिक्त अनुज्ञेय छूट		
10	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी जिन्होंने आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	40 वर्ष की आयु तक
11	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी(अजा/अजजा) जिन्होंने आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	45 वर्ष की आयु तक
12	विधवा/तलाक़शुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक रूप से विच्छेद प्राप्त महिलाएं जिन्होंने पुनर्विवाह न किया हो।	35वर्ष की आयु तक
13	विधवा/तलाक़शुदा महिलाएं (अजा/अजजा) तथा अपने पति से न्यायिक रूप से विच्छेद प्राप्त महिलाएं जिन्होंने पुनर्विवाह न किया हो।	40वर्ष की आयु तक

5.3 समूह-ख राजपत्रित पदों के लिए, उन कमीशंड अफसरों और इसीओ/एसएससीओज सहित भूतपूर्व सैनिकों के मामले में आयु सीमा में छूट अधिकतम 5 वर्ष है, जिन्होंने आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक न्यूनतम 5 वर्ष की सैन्य सेवा की हो और निम्नलिखित कारण से सेवा से निर्मुक्त किया गया हो;

5.3.1 कार्यकाल पूरा करने पर (इसमें वे भी शामिल हैं जिनका कार्यकाल आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर पूरा होना है), जिन्हें कदाचार या अदक्षता के कारण बर्खास्त या निर्मुक्त न किया गया हो; या

5.3.2 सैन्य सेवा के कारण शारीरिक दिव्यांगता के कारण; या

5.3.3 शारीरिक अशक्तता के कारण

5.4 समूह-ख राजपत्रित पदों के लिए, उन इसीओज/एसएससीओज के मामले में आयु सीमा में छूट अधिकतम 5 वर्ष है, जिन्होंने आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक सैन्य सेवा का 5 वर्ष का प्रारंभिक कार्यकाल पूरा कर लिया हो और जिनका कार्यकाल 5 वर्ष से आगे बढ़ा दिया हो तथा जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय यह प्रमाणपत्र जारी कर देता है कि वे सिविल रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं और उनका चयन होने पर उन्हें नियुक्ति का प्रस्ताव होने की तारीख से 3 माह के भीतर निर्मुक्त कर दिया जाएगा।

5.5 आयोग द्वारा आयु के निर्धारण हेतु अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई वही जन्म तिथि स्वीकार की जाएगी जो मैट्रिक/माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र में दर्ज है और बाद में इसमें कोई परिवर्तन किए जाने के अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और न ही इसे स्वीकार किया जाएगा।

5.6 ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने अपनी पुनर्नियुक्ति के लिए भूतपूर्व सैनिक को दिए जाने वाले आरक्षण के लाभ को प्राप्त करके केन्द्र सरकार के अंतर्गत सिविल पदों पर समूह 'ग' और 'घ' पदों में पहले से ही नियमित आधार पर नौकरी प्राप्त कर ली है, वे भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में आरक्षण और शुल्क में छूट प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं। तथापि, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिनांक 14 अगस्त, 2014 के का.ज्ञा.सं.36034/1/2014-स्था(पुन.) में यथा उल्लिखितानुसार वे उत्तरवर्ती नियोजन के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं यदि वे सिविल नौकरी में पदभार ग्रहण करने के तत्काल बाद उन विभिन्न रक्तियों, जिनके लिए उन्होंने प्रारंभिक सिविल नौकरी में कार्यभार ग्रहण से पहले आवेदन किया था, के आवेदनों के तिथि-वार ब्यौरे के संबंध में संबंधित नियोक्ता को स्वतः घोषणा करता /करती है/वचन देता /वचन देती है।

5.7 सशस्त्र सेनाओं में भूतपूर्व सैनिक की “काल अप सर्विस” की अवधि आयु में छूट प्राप्त करने के उद्देश्य से नियमानुसार सशस्त्र सेनाओं में प्रदत्त सेवा के रूप में भी मानी जाएगी।

5.8 आरक्षण के लाभों को प्राप्त करने के प्रयोजन से भूतपूर्व सैनिक माने जाने के लिए संघ की तीनों सशस्त्र सेनाओं के किसी भी सैनिक के लिए आवश्यक है कि उसने इस पद/सेवा के लिए आवेदन पत्र भेजने के संगत समय पर भूपूसै का दर्जा पहले ही हासिल कर लिया हो, अथवा उसे सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त दस्तावेजी सबूतों के द्वारा अपनी इस अर्जित हकदारी को सिद्ध करने की स्थिति में होना चाहिए कि वह आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथिसे एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर अर्थात् 03.05.2024को सशस्त्र सेनाओं की विनिर्दिष्ट सेवा की अवधि पूरी कर लेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर एक भूतपूर्व सैनिक का दर्जा भी अवश्य प्राप्त कर लेना चाहिए।

5.9 **स्पष्टीकरण:** भूपूसै से आशय उस व्यक्ति से है-

5.9.1 जिसने भारतीय संघ की नियमित थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में लड़ाकू सैनिक अथवा गैर लड़ाकू सैनिक के रूप में किसी भी पद पर सेवा की हो, तथा

- 5.9.1.1 जो पेंशन अर्जित करने के पश्चात अपने अनुरोध पर या नियोक्ता द्वारा सेवा मुक्त किए जाने पर ऐसी सेवा से सेवा निवृत्त हुआ हो या निर्मुक्त हुआ हो या छोड़ा गया हो; या
- 5.9.1.2 जिसे सैनिक सेवा से चिकित्सा आधार कार्यमुक्त किया गया हो अथवा अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण ऐसी सेवा से कार्यमुक्त किया गया हो तथा जिसे चिकित्सा अथवा अन्य अशक्तता पेंशन दी गई हो; या
- 5.9.1.3 जिसे कर्मचारियों में कटौती के परिणामस्वरूप उस सेवा से कार्यमुक्त किया गया हो;

या

- 5.9.2 जिसे सेवा की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के बाद, अपने अनुरोध अथवा दुराचरण अथवा अकुशलता के कारण सेवामुक्त या बर्खास्त न करके किसी अन्य कारण से सेवामुक्त किया गया हो तथा जिसे सेवा उपदान दिया गया हो और इसमें प्रादेशिक सेना के कार्मिक नामतः निरंतर मूर्त सेवा अथवा अलग-अलग अवधियों में की गई अर्हक सेवा वाले पेंशनधारी भी शामिल हैं;

अथवा

- 5.9.3 सैन्य डाक सेवा के कार्मिक जो कि नियमित सेना के अंग हैं और जो अपनी मूल सेवा में प्रत्यावर्तित हुए बिना सैन्य डाक सेवा से पेंशन सहित सेवा निवृत्त हुए हैं अथवा अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण अथवा सैन्य सेवा के कारण अशक्त होकर चिकित्सा आधार पर सैन्य डाक सेवा से कार्यमुक्त हुए हैं और उन्हें चिकित्सा अथवा अन्य निःशक्तता पेंशन मिली हुई है;

अथवा

- 5.9.4 ऐसे कार्मिक जो 14 अप्रैल, 1987 से पूर्व सैन्य डाक सेवा में 06 माह से अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर थे;

अथवा

- 5.9.5 प्रादेशिकप्रांतीय सेना के कार्मिकों सहित सशस्त्र सेनाओं के वीरता पुरस्कार विजेता;

अथवा

- 5.9.6 भर्ती हुए भूतपूर्व सैनिक जिन्हें चिकित्सा आधार सेवा से मुक्त किया गया है अथवा कार्यमुक्त किया गया है और जिन्हें चिकित्सा निःशक्तता पेंशन दी गई है।

- 5.10 एक मैट्रिक भूतपूर्व सैनिक (जिसमें वह भूतपूर्व सैनिक शामिल है, जिसने भारतीय सैन्य शिक्षा का विशेष प्रमाणपत्र या नौसेना या वायु सेना में तदनुसूची प्रमाणपत्र प्राप्त किया है) जिसने संघ की सशस्त्र सेनाओं में न्यूनतम 15 वर्ष की सेवा की है, उसे समूह 'ग' पदों में भूपूँसै के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति हेतु पात्र समझा जाएगा। इसलिए, जिन गैर स्नातक भूतपूर्व सैनिकों ने आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 15 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की है अथवा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के एक वर्ष के भीतर 15 वर्ष की सेवा पूरी नहीं करते हैं, वे इस परीक्षा के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। ऐसे भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी समूह 'ख' पदों के लिए पात्र नहीं हैं।
- 5.11 भूतपूर्व सैनिकों के पुत्र-पुत्रियों और आश्रितों को आयु सीमा में छूट / भूतपूर्व सैनिक को दिया जाने वाला आरक्षण अनुमत्य नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी भूतपूर्व सैनिक के रूप में नहीं दर्शानी चाहिए।

6 प्रमाणन की प्रक्रिया एवं प्रमाण पत्रों का प्रारूप:

- 6.1 जो अभ्यर्थी आरक्षित रिक्तियों हेतु विचार किए जाने अथवा आयु में छूट पाने के इच्छुक हैं, उन्हें संबंधित मांगकर्ता विभागों/ संगठनों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय इन प्रमाणपत्रों के मांगे जाने पर निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा, अजा/अजजा/अपिव/ आकव/ बे.दि./ भूपूँसै श्रेणी के उनके दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। प्रमाणपत्रों के प्रारूप इस परीक्षा की विज्ञप्ति के साथ संलग्न हैं। दिव्यांगता (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और संपूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) के अंतर्गत जारी जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र भी वैध होगा। किसी अन्य प्रारूप में प्राप्त किए गए प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- 6.2 अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि वे आवेदन पत्र में भरी गई श्रेणी से संबंधित हैं और संबंधित मांगकर्ता विभागों / संगठनों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय इस तरह के प्रमाणपत्र मांगे जाने पर वे सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करके इसे साबित करने में सक्षम हैं जिसमें विफल होने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी को आवेदनपत्र में भरी गई श्रेणी के समर्थन में अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के लिए मांगकर्ता विभाग/संगठन द्वारा खारिज कर दिया जाता है, तो इसके लिए अभ्यर्थी पूरी तरह से उत्तरदायी होगा और इस संबंध में आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, दस्ती आदि किसी भी रूप में प्राप्त किसी भी शिकायत पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और इसे सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।

उदाहरण के लिए, अभ्यर्थी X ने अपने आवेदन पत्र में ओबीसी भरा। तथापि, मांगकर्ता विभाग/संगठन द्वारा दस्तावेजसत्यापन के दौरान, वह वैध ओबीसी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है। ऐसी स्थिति में, मांगकर्ता विभाग/संगठन द्वारा X की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

- 6.3 बेंचमार्क दिव्यांग (बें.दि.)अभ्यर्थी ध्यान दें कि उन्हें आवेदन पत्र भरते समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता के प्रमाण पत्र के अनुसार उपयुक्त बेंचमार्क दिव्यांगता उप-श्रेणी अर्थात अ.दि./श्र.दि. /दृ.दि / बें.दि.- अन्य का चयन करना होगा। बाद में किसी भी परिस्थिति में, बेंचमार्क दिव्यांगता उप-श्रेणी में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय संबंधित मांगकर्ता विभागों/संगठनों द्वारा मांगे जाने पर आवेदन पत्र में घोषित उप श्रेणी के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, ऐसा न करने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। यह ध्यान दिया जाए कि प्रमाणपत्र जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जारी दिनांक 04.01.2021की अधिसूचना संख्या 38-16 / 2020-DD-III के अनुसार दिव्यांगता / दिव्यांगताओं के प्रकार (जैसे ए.बा., ए.पै, दो.पै, बौ., मा.रु., वि.अ.दि.आदि)का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। यदि अभ्यर्थी आवेदन पत्रमें भरी गई दिव्यांगता की उप श्रेणी के समर्थन में अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो वह इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और इस संबंध में आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इस संबंध में किसी भी रूप में, जैसे- डाक, फैक्स, ईमेल, दस्ती आदि से प्राप्त किसी भी शिकायत पर आयोग द्वारा कार्रवाई नहीं की जाएगी, और इसे सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।
- 6.4 अजा/अजजा/अपिव/आकव/दि.जनस्थिति के दावे या किसी अन्य लाभ नामतः शुल्क में छूट, आरक्षण, आयु में छूट आदि की निर्णायक तिथि, जहां पर अन्यथा निर्दिष्ट नहीं है, ऑनलाइन आवेदन पत्रों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्थात 03.05.2023 होगी।
- 6.5 अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के आधार पर नियुक्ति की अपेक्षा करने वाले व्यक्ति को अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पास जाति/समुदाय का प्रमाण पत्र है तथा वह निर्णायक तिथि को क्रीमी लेयर में नहीं आता/आती है।
- 6.6 अभ्यर्थी यह भी नोट करें कि उपर्युक्त के होते हुए भी उनकी अभ्यर्थिता तब तक अनंतिम रहेगी, जब तक कि नियुक्ति प्रधिकारी द्वारा संबंधित दस्तावेज की यथातथ्यता की पुष्टि नहीं कर ली जाती। अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि यदि वे कपटपूर्वक अजा/अजजा/अपिव/आकव/ बे.दि./भूपूसै श्रेणी का दावा करते हैं या कोई अन्य लाभ प्राप्त करते हैं तो आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा से उन्हें वारित कर दिया जाएगा।
- 7 **अतिरिक्त समय का प्रावधान तथा प्रलिपिक की सहायता:**
- 7.1 दृष्टिहीनता, चालन संबंधी दिव्यांगता (दोनों बांह प्रभावित-दो.बां.) और प्रमस्तिष्कीय से पीड़ित श्रेणी में न्यूनतम मानदंड वाले दिव्यांग व्यक्तियों के मामले में, यदि अभ्यर्थी द्वारा वांछित है तो प्रलिपिक की सुविधा प्रदान की जाती है।
- 7.2 बेंचमार्क दिव्यांगजनों की शेष श्रेणियों के मामले में, अनुबंध-I पर दिए प्रोफार्मा के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य देखरेख संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक से इस आशय का

प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर प्रलिपिक की सुविधा प्रदान की जाएगी कि संबंधित व्यक्ति की लेखन संबंधी शारीरिक सीमाएं हैं और उसकी ओर से परीक्षा में लिखने के लिए प्रलिपिक अत्यावश्यक है।

- 7.3 40% से कम दिव्यांगता और लिखने में कठिनाई वाले दिव्यांग अभ्यर्थी को भी दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 10.08.2022 के का. ज्ञा. सं. 29-6/2019-डीडी-III के अनुसरण में प्रलिपिक की सुविधा प्रदान की जाएगी। यह सुविधा **अनुबंध-Iक** के अनुसार प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर प्रदान की जाएगी
- 7.4 बेंचमार्क दिव्यांग / दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्रलिपिक/पाठ वाचक की सुविधा तभी दी जाएगी, जब उन्होंने ऑनलाइन आवेदन में उसका विकल्प चुना हो।
- 7.5 अभ्यर्थी के पास अपने प्रलिपिक अथवा आयोग द्वारा मुहैया कराए गए प्रलिपिक की सुविधा में से किसी एक को चुनने का विवेकाधिकार होगा। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में इस संबंध में उपयुक्त विकल्प देना होगा।
- 7.6 यदि अभ्यर्थी अपने प्रलिपिक का विकल्प देता है तो प्रलिपिक की योग्यता, परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी की योग्यता से एक स्तर नीचे होनी चाहिए। अपने प्रलिपिक के लिए विकल्प दे रहे न्यूनतम मानदंड वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा देने के समय **अनुबंध-II** पर दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार अपने प्रलिपिक के ब्यौरे प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। उपर्युक्त पैरा 7.3 के अनुसार प्रलिपिक के लिए पात्र दिव्यांग अभ्यर्थियों और अपना प्रलिपिक का विकल्प देने वाले अभ्यर्थियों को **अनुबंध-IIक** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार परीक्षा के समय अपने प्रलिपिक का विवरण प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा प्रलिपिक को परीक्षा के समय अपने वैध पहचान प्रमाणपत्र की (पैरा 14.7 पर दी गई सूची के अनुसार) मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी। **अनुबंध-II / अनुबंध-IIक** पर दिए गए प्रोफार्मा के साथ अभ्यर्थी और प्रलिपिक द्वारा हस्ताक्षरित प्रलिपिक के पहचान प्रमाणपत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत की जाएगी। यदि बाद में यह पाया जाता है कि प्रलिपिक की योग्यता, अभ्यर्थी द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी उस पद के लिए अपने अधिकार और उससे जुड़े दावों को खो देगा।
- 7.7 यदि अभ्यर्थी अपना प्रलिपिक चुनता है तो वह प्रलिपिक इस परीक्षा का अभ्यर्थी नहीं होना चाहिए। यदि कोई अभ्यर्थी प्रलिपिक के रूप में दूसरे बेंचमार्क दिव्यांग / दिव्यांग अभ्यर्थी की सहायता करते हुए पाया जाता है तो दोनों अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
- 7.8 ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें उपरोक्त पैरा 7.1, 7.2 और 7.3 में यथा-वर्णित उपबंधों के अनुसार प्रलिपिक की सहायता लेने की अनुमति दी गई है, उन्हें परीक्षा में प्रति घंटा 20 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा।

- 7.9 उपरोक्त पैरा 7.1 , 7.2 और 7.3 में संदर्भित अभ्यर्थी, जिन्हें प्रलिपिक की सहायता लेने की अनुमति दी गई है, लेकिन वे प्रलिपिक की सुविधा का लाभ नहीं ले रहे हैं, उन्हें भी परीक्षा में प्रतिघंटा 20 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा।
- 7.10 परीक्षा हॉल के अन्दर पात्र अभ्यर्थियों के साथ प्रलिपिक के अलावा किसी अन्य परिचर को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 7.11 एकाक्ष (एक आंख वाला) अभ्यर्थी और आंशिक रूप से दृष्टिहीन व्यक्ति जो आवर्धक लेंस से या उसके बिना सामान्य प्रश्न-पत्र पढ़ सकते हैं और आवर्धक लेंस की सहायता से उत्तर अंकित करना चाहते हैं, उन्हें परीक्षा कक्ष में आवर्धक लेंस का प्रयोग करने की अनुमति होगी और उन्हें प्रलिपिक की सुविधा लेने का हक नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष में अपना आवर्धक लेंस लाना होगा।
- 7.12 बेंचमार्क दिव्यांग / दिव्यांग अभ्यर्थी, जिन्होंने प्रलिपिक/पाठ वाचक की सुविधा और/अथवा अतिरिक्त समय का लाभ लिया है, उन्हें दस्तावेज सत्यापन के समय प्रलिपिक/अतिरिक्त समय की पात्रता के लिए संगत दस्तावेज अवश्य प्रस्तुत करने होंगे। ऐसे समर्थक दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने पर परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता को निरस्त कर दिया जाएगा।

8 अनिवार्य शैक्षिक योग्यताएं (दिनांक 01.08.2023 को)

8.1 सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी/ सहायक लेखा अधिकारी

8.1.1 **अनिवार्य योग्यताएं** : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातक डिग्री।

8.1.2 **वांछनीय योग्यताएं** : चार्टर्ड एकाउंटेंट अथवा लागत एवं प्रबंधन लेखाकार अथवा कम्पनी सचिव अथवा वाणिज्य निष्णात अथवा व्यवसाय अध्ययन निष्णात अथवा व्यवसाय प्रशासन निष्णात (वित्त) अथवा व्यवसाय अर्थशास्त्र निष्णात।

8.1.3 सीधे भर्ती किए गए अधिकारियों को सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी/सहायक लेखा अधिकारी के रूप में स्थायीकरण और नियमित नियुक्ति के लिए परीक्षा अवधि के दौरान, अपनी-अपनी शाखाओं में "अधीनस्थ लेखा-परीक्षा/लेखा सेवा परीक्षा" उत्तीर्ण करनी होगी।

8.2 **कनिष्ठ सांख्यिकीय आधिकारी:**

8.2.1 कक्षा 12 के स्तर पर गणित में कम से कम 60 प्रतिशत अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी विषय में स्नातक डिग्री।

अथवा

किसी विषय में स्नातक डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर सांख्यिकी एक विषय के रूप में ली गई हो।

8.3 सांख्यिकीय अन्वेषक ग्रेड- II:

8.3.1 किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से एक विषय के रूप में सांख्यिकी के साथ किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री। अभ्यर्थियों ने स्नातक पाठ्यक्रम के सभी तीन वर्षों या सभी 6 सेमेस्टर्स में एक विषय के रूप में सांख्यिकी का अध्ययन किया हो।

8.4 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) में अनुसंधान सहायक:

8.4.1 अनिवार्य अर्हता : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री।

8.4.2 वांछनीय अर्हता :

8.4.2.1 किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान में न्यूनतम एक वर्ष का शोध अनुभव;

8.4.2.2 किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि या मानवाधिकार में डिग्री।

8.5 अन्य सभी पद :

8.5.1 किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष डिग्री।

8.6 जो अभ्यर्थी अपनी स्नातक शिक्षा के अंतिम वर्ष की परीक्षा दे रहे हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते कि उन्होंने अनिवार्य शैक्षिक योग्यता कटऑफ तारीख अर्थात् दिनांक 01.08.2023 को या उससे पहले उत्तीर्ण कर ली है। ।

8.7 भारत के राजपत्र में प्रकशित मानव संसाधन विकास मंत्रालय की दिनांक 10.06.2015 की आधिसूचना के अनुसार संसद अथवा राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालयवत संस्थाओं और संसद के किसी अधिनियम के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं द्वारा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण पद्धति के माध्यम से प्रदान की गई तकनीकी शिक्षा डिग्री/डिप्लोमा सहित समस्त डिप्लोमा/डिग्रियां/प्रमाणपत्र केन्द्र सरकार के अंतर्गत पदों और सेवाओं में नियोजन के प्रयोजन से स्वतः ही मान्यता प्राप्त हैं बशर्ते कि उनको दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमोदन प्राप्त हो। तदनुसार, यदि ऐसी डिग्रियां उस प्रासंगिक अवधि के लिए मान्य नहीं है जब अभ्यर्थियों उन्हें हासिल किया है, उन्हें शैक्षिक योग्यता के प्रयोजनार्थ स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से प्रदान की गई ऐसी डिग्री / डिप्लोमा / प्रमाण पत्र रखने वाले अभ्यर्थियों के मामले में, ऐसे अभ्यर्थी दस्तावेज़ सत्यापन के समय प्रासंगिक अवधि के लिए दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय को दिए गए अनुमोदन को भी प्रस्तुत करेंगे।

8.8 भारत के राजपत्र के भाग-III (8)(v) के तहत दिनांक 23.06.2017 को प्रकाशित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा) विनियम 2017 के अनुसार, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण पद्धति के तहत किए गए अभियांत्रिकी, चिकित्सा, दंत, नर्सिंग, फार्मैसी, वास्तुकला और फिजियोथेरेपी आदि के पाठ्यक्रम अनुमत्य नहीं हैं। तथापि, मुकुल कुमार शर्मा एवं अन्य बनाम एआईसीटीई एवं अन्य के मामले में, डब्लू.पी.(सी) सं. 382/2018 में एमए सं.3092/2018 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 11-03-2019 के आदेश के अनुपालन में, इग्नू द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2009-10 में नामांकित छात्रों को प्रदान की गई अभियांत्रिकी में बी.टेक डिग्री/डिप्लोमा यथा-प्रयोज्य वैध माना जाएगा

8.9 दस्तावेजी सत्यापन के लिए बुलाए गए सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि उससे पूर्व न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने के प्रमाण के रूप प्रासंगिक प्रमाणपत्र जैसेकि स्नातक के सभी तीन वर्षों के अंकपत्र / अनंतिम प्रमाणपत्र / मूल रूप में स्नातक की डिग्री प्रस्तुत करने होंगे, इसमें विफल रहने पर आयोग द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। वे अभ्यर्थी जो दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा यह प्रमाणित कर पाते हैं कि अर्हक परीक्षा का परिणाम कट-ऑफ तिथि को अथवा उससे पूर्व घोषित किया गया था तथा उन्हें उत्तीर्ण घोषित किया गया है, तो शैक्षिक योग्यता को पूरा करने की दृष्टि से उनके नाम पर भी विचार किया जाएगा। यह पुनः बताया जाता है कि अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता के परिणाम संस्थान/विश्वविद्यालय द्वारा विनिर्दिष्ट तिथि तक घोषित हो जाने चाहिए। संस्थान/विश्वविद्यालय द्वारा महत्वपूर्ण अंतिम तिथि से पहले महज परिणाम की प्रक्रिया शुरू करना ही आवश्यक शैक्षणिक योग्यता पूरा करना नहीं है।

8.10 समकक्ष शैक्षिक योग्यता धारण करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में, ऐसे अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय संबंधित प्राधिकारियों से प्राप्त संगत समकक्षता प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना होगा। तथापि, ऐसे अभ्यर्थियों के चयन के संबंध में अंतिम निर्णय संबंधित प्रयोक्ता विभागों/नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा लिया जाएगा।

9. आवेदन कैसे करे:

9.1 आवेदन-पत्र केवल ऑनलाइन मोड में कर्मचारी चयन आयोग मुख्यालय की आधिकारिक वेबसाइट अर्थात <https://ssc.nic.in> पर जमा किए जाने चाहिए। विस्तृत निर्देशों के लिए कृपया अनुबंध - III और अनुबंध- IV का अवलोकन करें। एक-बारगी पंजीकरण का और ऑनलाइन आवेदन का नमूना प्रोफार्मा अनुबंध-IIIक और अनुबंध- IVक के रूप में संलग्न हैं।

9.2 ऑनलाइन आवेदन-पत्र में, अभ्यर्थियों को जेपीईजी प्रारूप में स्कैन किए हुए रंगीन पासपोर्ट आकार की फोटो (20 केबी से 50 केबी) अपलोड करनी होगी। फोटोग्राफ की छवि का आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) x

4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। शांतनु कुमार एवं अन्य [2018 का रिट याचिका (सि) सं. 234] के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 05.03.2020 के आदेश के अनुपालन में फ़ोटोग्राफ परीक्षा-विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तारीख से तीन महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। फोटोग्राफ बिना टोपी और बिना चश्मे की होनी चाहिए। सामने का चेहरा स्पष्ट दिखाई देना चाहिए।

- 9.3 आवेदन पत्र जमा करने से पहले, अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि फोटो दिए गए निर्देशों के अनुसार अपलोड किया गया है। यदि अभ्यर्थी द्वारा वांछित प्रारूप में फोटोग्राफ अपलोड नहीं किया जाता है, तो उसका आवेदन/अभ्यर्थिता अस्वीकृत या रद्द कर दी जाएगी। स्वीकार्य / अस्वीकार्य फोटोग्राफ का नमूना भी अनुबंध-V में दिया गया है।
- 9.4 ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि और समय 03.05.2023 (23:00 बजे तक) है।
- 9.5 अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तारीख तक प्रतीक्षा न करें और अंतिम तिथि से बहुत पहले ऑनलाइन आवेदन जमा कर दें क्योंकि अंतिम दिनों में नेटवर्क व्यस्त होने के कारण संपर्क में बाधा/असमर्थता हो सकती है और क.च.आ. की वेबसाइट पर लॉगइन करने में विफलता हो सकती है।
- 9.6 आयोग उक्त कारणों से या अपने नियंत्रण से परे किसी भी अन्य कारण से अभ्यर्थियों द्वारा अंतिम तिथि के भीतर अपने आवेदन प्रस्तुत करने में विफल रहने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- 9.7 ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले अभ्यर्थियों को प्रीव्यू / प्रिंट विकल्प के माध्यम से यह जांच कर लेनी चाहिए कि उन्होंने आवेदनपत्र के प्रत्येक स्थान में सही विवरण भरा है।

10. आवेदन शुल्क:

- 10.1 देय शुल्क: 100 / - रुपए (एक सौ रुपए मात्र)
- 10.2 महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति (अ.जा.), अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.), बेंचमार्क दिव्यांगजनों और आरक्षण के हकदार भूतपूर्व सैनिक (भू.पू.सै.) अभ्यर्थियों को शुल्क का भुगतान करने से छूट दी गई है।
- 10.3 शुल्क का भुगतान भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग के माध्यम से या वीजा, मास्टरकार्ड, मेट्रो, रुपे क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग करके या एसबीआई की शाखा में नकद भुगतान करके एसबीआई चालान बनवा कर किया जा सकता है।
- 10.4 अभ्यर्थी ऑनलाइन शुल्क का भुगतान 04.05.2023 (23:00 बजे तक) तक कर सकते हैं। तथापि वे अभ्यर्थी जो भारतीय स्टेट बैंक के चालान के माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं, वे 05.05.2023 तक बैंक के कार्य समय के भीतर भारतीय स्टेट बैंक की निर्धारित शाखाओं में भुगतान कर सकते हैं, बशर्ते कि उन्होंने दिनांक 04.05.2023 (23:00 बजे) तक चालान बनवा लिया है।

- 10.5 जिन अभ्यर्थियों को शुल्क भुगतान से छूट नहीं मिली है, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका शुल्क कर्मचारी चयन आयोग को प्राप्त हो गया है। यदि शुल्क क.च.आ. को प्राप्त नहीं होता है, तो आवेदन पत्र की स्थिति 'अपूर्ण' दर्शाई जाएगी और यह जानकारी ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंटआउट के शीर्ष पर छपी होगी। इसके अलावा, शुल्क भुगतान की स्थिति को अभ्यर्थी के लॉगिन स्क्रीन में दिए गए "भुगतान की स्थिति" लिंक पर सत्यापित किया जा सकता है। ऐसे आवेदन जो शुल्क न मिलने के कारण अपूर्ण रह जाते हैं, उन्हें **सरसरी तौर पर निरस्त** कर दिया जाएगा और परीक्षा विज्ञप्ति में निर्दिष्ट अवधि के बाद ऐसे आवेदनों पर विचार करने और शुल्क भुगतान करने का कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 10.6 एक बार भुगतान किए गए शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए समायोजित किया जाएगा।
- 11. आवेदन पत्र में संशोधन करने के लिए विंडो [07-05-2023 से 08-05-2023 (23:00 बजे तक)]:**
- 11.1 आयोग ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद, ऑनलाइन आवेदन परिमाणों को ठीक / संशोधित करने के लिए अभ्यर्थियों को 2 दिनों की अवधि प्रदान करेगा, जिसमें अभ्यर्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार एकबारगी पंजीकरण / ऑनलाइन आवेदन डेटा में अपेक्षित संशोधन / परिवर्तन करने के बाद आवेदन फिर से जमा करने की अनुमति दी जाएगी।
- 11.2 किसी भी अभ्यर्थी को 'आवेदनपत्र में संशोधन करने के लिए विंडो' के दौरान अपने आवेदन को संशोधित करने और संशोधित आवेदन को फिर से जमा करने के लिए दो बार अनुमति दी जाएगी, अर्थात् यदि उसने अपने अद्यतित आवेदन में भी गलती की है, तो उसे अपेक्षित सुधार/संशोधन करने के बाद एक बार फिर से सही आवेदन जमा करने की अनुमति दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में आवेदन पत्र में कोई और संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 11.3 केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में संशोधन करने की अनुमति दी जाएगी, जिनके सभी प्रकार से पूरे ऑनलाइन आवेदन अपेक्षित शुल्क के भुगतान के साथ, आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त किए गए हैं।
- 11.4 आयोग पहली बार आवेदन पत्र में संशोधन करने और संशोधित/ सही आवेदन को जमा करने के लिए ₹ 200/- की एक समान सुधार राशि और दूसरी बार संशोधन करने और संशोधित/सही आवेदन को जमा करने के लिए ₹ 500/- की एक समान सुधार राशि लगाएगा। सुधार राशि सभी अभ्यर्थियों पर लागू होगी चाहे उनका लिंग/श्रेणी कुछ भी हो।
- 11.5 सुधार राशि का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग या वीजा, मास्टरकार्ड, मेट्रो, रुपे क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग करके किया जा सकता है।

- 11.6 एक बार भुगतान की गई सुधार राशि को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए समायोजित किया जाएगा।
- 11.7 आवेदनपत्र सुधार राशि की प्राप्ति के अध्यक्षीन नवीनतम आशोधित / संशोधित आवेदन को वैध माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा जमा किए गए पिछले आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा।
- 11.8 यदि आवेदनपत्र सुधार राशि क.च.आ. को प्राप्त नहीं होती है , तो आवेदन पत्र की स्थिति 'अपूर्ण'दर्शाई जाएगी और यह जानकारी ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंटआउट के शीर्ष पर छपी होगी। ऐसे आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा और पहले जमा किए गए आवेदन वैध रहेंगे ।
- 11.9 संशोधित आवेदन जमा करने से पहले अभ्यर्थी यह जांच कर लें कि उन्होंने फार्म के प्रत्येक स्थान में सही विवरण भरा है। 'आवेदनपत्र में संशोधन करने के लिए विंडो' की अवधि के समाप्त होने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में किसी भी परिवर्तन / सुधार / संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, दस्ती आदि किसी भी माध्यम से प्राप्त अनुरोधों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

12. परीक्षा केन्द्र:

12.1 अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में उस केंद्र (केंद्रों) को जरूर इंगित करना चाहिए जिसमें वह परीक्षा देना चाहता है। परीक्षा केंद्रों और क्षेत्रीय कार्यालयों, जिनके क्षेत्राधिकार में ये परीक्षा केन्द्रों पर स्थित हैं, का विवरण निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	परीक्षा केन्द्र तथा केन्द्र कोड	कर्मचारी चयन आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय और उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	क्षेत्रीय कार्यालयों / उनकी वेबसाइट का पता
1	भागलपुर (3201), मुजफ्फरपुर (3205), पटना (3206), पूर्णिया (3209) आगरा (3001), बरेली (3005), गोरखपुर (3007), झांसी (3008), कानपुर (3009), लखनऊ (3010) मेरठ (3011), प्रयागराज (3003), वाराणसी (3013)	मध्य क्षेत्र (म.क्षे.)/ बिहार तथा उत्तर प्रदेश	क्षेत्रीय कार्यालय (म.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, 34 ए, महात्मा गांधी मार्ग सिविल लाइन्स, केंद्रीय सदन प्रयागराज, उत्तर प्रदेश -211001 http://www.ssc-cr.org
2	पोर्ट ब्लेयर (4802), धनबाद (4206),	पूर्वी क्षेत्र (पू.क्षे.)/	क्षेत्रीय कार्यालय(पू.क्षे.)

	जमशेदपुर (4207), रांची (4205), बालासोर (ओडिशा) (4601), बेरहमपोर (ओडिशा) (4602), भुवनेश्वर (4604), कटक (4605), राऊरकेला (4610), सम्बलपुर (4609), गंगटोक (4001), आसनसोल (4417), बर्दमान (4404), दुर्गापुर (4426), कल्याणी (4419), कोलकाता (4410), सिलीगुड़ी (4415)	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल	कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम एमएसओ भवन, (आठवां तल), 234/4, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700020 www.sscer.org
3	बेलगावी (9002), बेंगलूरु (9001), हुब्बली (9011), कलबुर्गी (गुलबर्गा) (9005), मंगलूरु (9008), मैसूरु (9009), शिवमोगा (9010), उडुपी (9012), एर्नाकुलम (9213), कोलम (9210), कोट्ट्याम (9205), कोझिकोड (9206), त्रिशुर (9212), तिरुवनंतपुरम (9211)	कर्नाटक, केरल क्षेत्र (क.के.क्षे.)लक्ष्यद्वीप, कर्नाटक तथा केरल	क्षेत्रीय निदेशक (क.के.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल, "ई" विंग, केन्द्रीय सदन, कोरमंगला, बेंगलूरु, कर्नाटक-560034 www.ssckkr.kar.nic.in
4	भोपाल (6001), ग्वालियर (6005), इंदौर (6006), जबलपुर (6007), सतना (6014), सागर (6015), उज्जैन (6016), बिलासपुर (6202), रायपुर (6204), दुर्ग-भिलाई (6205),	मध्य प्रदेश उप-क्षेत्र (म.प्र.क्षे.)/ छत्तीसगढ़ तथा मध्यप्रदेश	उप निदेशक (म.प्र.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, 5वां तल, इनवेस्टमेंट बिल्डिंग, एलआईसी कैंपस-2, पंडरी रायपुर, छत्तीसगढ़-492004 www.sscmpr.org
5	ईटागनर (5001), डिब्रूगढ़ (5102), गुवाहाटी (दिसपुर) (5105), जोरहाट (5107), सिलचर (5111), तेजपुर (5112) चुड़ाचांदपुर (5502), इम्फाल (5501), उखरूल (5503), शिलांग (5401), आइजॉल (5701), दीमापुर (5301), कोहिमा (5302), अगरतला (5601)।	उत्तर पूर्वी क्षेत्र (उ.पू.क्षे.)/ अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोराम, नागालैंड तथा त्रिपुरा	क्षेत्रीय निदेशक (उ.पू.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, हाउसफेड कम्प्लैक्स, लास्ट गेट, बेलाटोला, बशिष्ठ रोड, डाकघर- असम सचिवालय, दिसपुर, गुवाहाटी, असम-781006 www.sscner.org.in
6	देहरादून (2002), हलद्वानी (2003), रूड़की (2006), दिल्ली (2201), अजमेर (2401), बीकानेर (2404), जयपुर (2405), जोधपुर (2406), उदयपुर (2409), सीकर (2411)	उत्तरी क्षेत्र (NR)/ दिल्ली, राजस्थान तथा उत्तराखंड	क्षेत्रीय निदेशक (उ.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक सं 12, केन्द्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 www.sscnr.net.in

7	चंडीगढ़/मोहाली (1601), हमीरपुर (1202), शिमला (1203), जम्मू (1004), सांबा(1010), श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर) (1107), लेह (1005), अमृतसर(1404), जलंधर(1402), पटियाला (1403)	पश्चिमोत्तर उप-क्षेत्र (पश्चिमो.क्षे.) चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर लद्दाख तथा पंजाब	उप निदेशक (पश्चि.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक सं. 3, भूतल, केन्द्रीय सदन, सैक्टर-9, चंडीगढ़-160009 www.sscnwr.org
8	चिराला (8011), गुन्टूर (8001), काकीनाडा (8009), करनूल (8003), नेल्लोर (8010), राजामुन्त्री (8004), तिरुपति (8006), विजियानगरम (8012), विजयवाड़ा (8008), विशाखापत्तनम (8007), पुडुचेरी (8401),चेन्नै (8201), कोयंबटूर (8202), मदुरै (8204), सेलम (8205), तिरुचिरापल्ली (8206), तिरुनेवेली (8207) वेल्लोर(8208), हैदराबाद (8601), करीमनगर (8604), वारांगल (8603)	दक्षिणी क्षेत्र (द.क्षे.) आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना	क्षेत्रीय निदेशक (द.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, द्वितीय तल, ईवीके संपत बिल्डिंग, डीपीआई परिसर, कॉलेज रोड, चेन्नै, तमिलनाडु-600006 www.sscsr.gov.in
9	पणजी (7801), अहमदाबाद (7001), आनंद (7011), गांधीनगर (7012), मेहसाना (7013), राजकोट (7006), सूरत (7007), वडोदरा (7002), अमरावती (7201), औरंगाबाद (7202), जलगांव(7214), कोल्हापुर (7203), मुम्बई (7204), नागपुर (7205), नांदेड(7206), नासिक (7207), पुणे (7208)	पश्चिमी क्षेत्र (प.क्षे.) दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र	क्षेत्रीय निदेशक (प.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल, दक्षिण विंग, प्रतिष्ठा भवन, 101, महर्षि करवे रोड, मुंबई, महाराष्ट्र - 400020 www.sscwr.net

12.2 अभ्यर्थी एक ही क्षेत्र के भीतर प्राथमिकता के क्रम में तीन केन्द्रों का विकल्प दे सकता है। परीक्षा के किसी भी स्तर पर / टियर (टियरों) में केन्द्र के परिवर्तन के लिए किसी भी अनुरोध परविचार नहीं किया जाएगा। अतः अभ्यर्थियों को केन्द्रों का चयन सावधानीपूर्वक करना चाहिए और अपने आवेदनों में इसे ठीक से इंगित करना चाहिए।

12.3 आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा चुने गए केन्द्रों में समायोजित करने का प्रयास करेगा। तथापि, आयोग अधिकार है कि वह किसी भी केन्द्र को रद्द कर दे और उस केन्द्र के अभ्यर्थियों को किसी अन्य केन्द्र से

परीक्षा में बैठने के लिए कहे। आयोग को यह भी अधिकार है कि वह परीक्षा देने के लिए किसी भी केंद्र के अभ्यर्थी को किसी अन्य केंद्र पर स्थानांतरित कर दे।

13 परीक्षा की रूपरेखा

13.1 कम्प्यूटर आधारित परीक्षा निम्नलिखित दो टियरों में आयोजित की जाएगी :-

13.1.1 टियर-I

13.1.2 टियर-II

13.2 यदि कंप्यूटर आधारित परीक्षा कई शिफ्टों में आयोजित की जाती तो अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को आयोग की विज्ञप्ति सं:1-1/2018-पी&पी-I दिनांक-07.02.2019 के माध्यम से प्रकाशित सूत्र द्वारा सामान्यीकृत किया जाएगा और इस प्रकार सामान्यीकृत किए गए अंकों को अंतिम मेरिट और कट-ऑफ अंक निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाएगा।

13.3 परीक्षा के बाद अनंतिम उत्तर-कुंजी आयोग की वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। अभ्यर्थी उत्तर-कुंजी को देख सकते हैं और यदि कोई आपत्ति है तो निर्धारित समय सीमा के भीतर 100 रु. प्रति प्रश्न, जो कि अप्रतिदेय है, का भुगतान करके ऑनलाइन माध्यम से अभ्यावेदन दे सकते हैं। किसी भी अन्य माध्यम जैसे पत्र, आवेदन, ई-मेल आदि से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। उत्तर-कुंजी से संबन्धित किसी भी अभ्यावेदन की, उत्तर-कुंजी को अंतिम रूप देने से पहले, संवीक्षा की जाएगी और इस संबंध में आयोग का निर्णय ही अंतिम माना जाएगा।

13.4 विज्ञप्ति में उल्लिखित परीक्षा का कार्यक्रम अनंतिम है। परीक्षा के कार्यक्रम में किसी भी तरह का बदलाव होने पर उसकी जानकारी सिर्फ आयोग की वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी।

13.5 प्रश्न-पत्र में जहां कहीं भी आवश्यक होगा, भार और माप की मीट्रिक प्रणाली व्यवस्था का प्रयोग किया जाएगा।

13.6 परीक्षा के किसी भी चरण/ टियर (टियरों) के अंकों के पुनर्मूल्यांकन/पुनरावेक्षण की कोई व्यवस्था नहीं होगी। इस संबंध में किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

13.7 टियर-I परीक्षा की रूप रेखा

टियर	विषय	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	अनुमत्य समय
I	क. सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्कशक्ति	25	50	1 घंटा (पैरा 7.1, 7.2 और 7.3 के अनुसार प्रलिपिक के लिए)
	ख. सामान्य जानकारी	25	50	
	ग. परिमाणात्मक अभिरुचि	25	50	

	घ. अंग्रेजी परिज्ञान	25	50	पात्र अभ्यर्थियों के लिए 1 घंटा 20 मिनट)
--	----------------------	----	----	--

13.7.1 टियर-I परीक्षा वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय प्रश्नों वाले होगी। अंग्रेजी परिज्ञान को छोड़कर बाकी सभी प्रश्नों को हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किया जाएगा।

13.7.2 प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.50 नकारात्मक अंक दिए जाएंगे।

13.8 टियर-II परीक्षा की रूप रेखा

टियर	पेपर	सत्र	विषय	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	अनुमत्य समय
II	पेपर-I	सत्र-I (2 घंटे और 15 मिनट)	खंड-I: मॉड्यूल-I: गणितीय योग्यता	30 30 कुल= 60	60*3 =180	प्रत्येक खंड के लिए 1 घंटा (पैरा 7.1, 7.2 और 7.3 के अनुसार प्रलिपिक के लिए पात्र अभ्यर्थियों के लिए 1 घंटा 20 मिनट)
			मॉड्यूल-II: तर्क शक्ति एवं सामान्य बुद्धिमत्ता			
			खंड-II: मॉड्यूल-I: अंग्रेजी भाषा एवं परिज्ञान	45	70*3 =210	
		मॉड्यूल-II: सामान्य जानकारी	25 कुल=70			
			खंड-III: मॉड्यूल-I: कंप्यूटर ज्ञान मॉड्यूल	20	20*3 =60	15 मिनट (प्रत्येक मॉड्यूल के लिए) (पैरा 7.1, 7.2 और 7.3 के अनुसार प्रलिपिक के लिए पात्र अभ्यर्थियों के लिए 20 मिनट)
		सत्र-II (15 मिनट)	खंड-III: मॉड्यूल-II: डाटा प्रविष्टि गति परीक्षा मॉड्यूल	डाटा प्रविष्टि संबंधी एक कार्य	--	

	पेपर-II	सांख्यिकी	100	100*2 = 200	2 घंटे (प्रत्येक पेपर के लिए) (पैरा 7.1, 7.2 और 7.3 के अनुसार प्रलिपिक के लिए पात्र अभ्यर्थियों के लिए 2 घंटा 40 मिनट)
	पेपर-III	सामान्य अध्ययन (वित्त एवं अर्थशास्त्र)	100	100*2 = 200	

13.8.1 टियर-IIमें पेपर-I, पेपर-II और पेपर-III का अलग-अलग पाली (पालियों) / दिन (दिनों) में आयोजन किया जाएगा।

13.8.2 पेपर-I सभी पदों के लिए अनिवार्य है।

13.8.3 पेपर-II केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए होगा जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में कनिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी (जेएसओ) और भारत के रजिस्ट्रार जनरल (गृह मंत्रालय) के कार्यालय में सांख्यिकीय अन्वेषक ग्रेड- II के पदों के लिए आवेदन करते हैं और टियर-I परीक्षा में इन पदों के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं।

13.8.4 पेपर- IIIकेवल उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए होगा जो पेपर-IIIअर्थात सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी/सहायक लेखा अधिकारी पदों के लिए टियर-I में शार्टलिस्ट किए जाएंगे।

13.8.5 पेपर-I में तीन खंड होंगे और प्रत्येक खंड में दो मॉड्यूल होंगे:

13.8.5.1 **खंड-I:**

13.8.5.1.1 **मोड्यूल-I:** गणितीय योग्यता

13.8.5.1.2 **मोड्यूल-II:** तर्क शक्ति एवं सामान्य बुद्धिमत्ता

13.8.5.2 **खंड-II:**

13.8.5.2.1 **मोड्यूल-I:** अंग्रेजी भाषा एवं परिज्ञान

13.8.5.2.2 **मोड्यूल-II:** सामान्य जानकारी

13.8.5.3 **खंड-III:**

13.8.5.3.1 **मोड्यूल-I:** कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा

13.8.5.3.2 **मोड्यूल-II:** डाटा प्रविष्टि गति परीक्षा

13.8.6 पेपर-I एक ही दिन में दो सत्रों- सत्र-I एवं सत्र-2 में आयोजित किया जाएगा।

13.8.6.1 सत्र-I में खंड-I, खंड-II और खंड-III का मोड्यूल-I शामिल होगा। इसलिए, सत्र-I की समयावधि 2 घंटे और 15 मिनट होगी

13.8.6.2 खंड-I में दो मॉड्यूल हैं यथा मॉड्यूल- I (गणितीय योग्यता) और मॉड्यूल- II (तर्क शक्ति एवं सामान्य बुद्धिमत्ता)। अभ्यर्थियों को इस खंड को पूरा करने के लिए एक घंटे का समय मिलेगा। एक घंटा पूरा होने पर यह खंड स्वतः ही बंद हो जाएगा।

13.8.6.3 खंड-I के पूरा होने के तुरंत बाद, खंड-II के दो मॉड्यूल यथा मॉड्यूल- I (अंग्रेजी भाषा एवं परिज्ञान) और मॉड्यूल- II (सामान्य जानकारी) शुरू होंगे। खण्ड-II भी एक घंटे का होगा और एक घंटा पूरा होते ही यह खण्ड स्वतः ही बंद हो जायेगा।

13.8.6.4 खंड-III में दो मॉड्यूल होंगे। मॉड्यूल-I (कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा) खंड-II के पूरा होने के तुरंत बाद शुरू होगा और 15 मिनट की अवधि के लिए होगा। खंड-III के मॉड्यूल-I के पूरा होने पर, सत्र-I समाप्त हो जाएगा।

13.8.6.5 सत्र-I के पूरा होने के बाद, अभ्यर्थियों को सत्र-II में पुनः पंजीकरण के लिए एक ब्रेक मिलेगा।

13.8.6.6 सत्र-II में खंड-III के मॉड्यूल-II अर्थात् डाटा प्रविष्टि गति परीक्षा का संचालन शामिल होगा। अतः सत्र-II की अवधि केवल 15 मिनट ही होगी।

13.8.7 अभ्यर्थियों को पेपर-I के सभी खंडों में अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

13.8.8 पेपर-I के खंड-III के मोड्यूल-II को छोड़कर टियर-II (पेपर-I, पेपर-II और पेपर-III) में वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे । पेपर-I के खंड-II में, अंग्रेजी भाषा एवं परिज्ञान मॉड्यूल को छोड़कर, बाकी सभी प्रश्नों को हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किया जाएगा ।

13.8.9 पेपर-I के खंड-I, खंड-II और खंड-III के मोड्यूल-I में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 नकारात्मक अंक दिया जाएगा और पेपर-II व पेपर-III में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.50 नकारात्मक अंक दिए जाएंगे।

13.8.10 पेपर-I के खंड-III के मॉड्यूल-I अर्थात् कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा अनिवार्य है, परन्तु यह अर्हक प्रकृति की है। तथापि, अभ्यर्थियों को शार्ट लिस्ट करने हेतु जिन पदों के लिए कंप्यूटर प्रवीणता निर्धारित की गई है, जैसे – केंद्रीय सचिवालय सेवा, विदेश मंत्रालय एवं सशस्त्र सेना मुख्यालय में सहायक अनुभाग अधिकारी, कॉरपोरेट मंत्रालय के अधीन गंभीर जालसाजी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) में सहायक, खान मंत्रालय में सहायक (जीएसआई), भारतीय मौसम विभाग (भू विज्ञान मंत्रालय) में सहायक, सीबीआईसी में निरीक्षक (सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क), निरीक्षक (निवारक अधिकारी) एवं निरीक्षक (परीक्षक) तथा डाक विभाग में डाक सहायक / छंटनी सहायक, के लिए दूसरे पदों की तुलना में उच्चतर अर्हता मानक निर्धारित किए जाएंगे ।

13.8.11 पेपर-1 के खंड-111 का मॉड्यूल-11 अर्थात डाटा प्रविष्टि गति परीक्षा (डीईएसटी) :

- 13.8.11.1 पेपर-1 के खंड-111 के मॉड्यूल-11 में उसी दिन सत्र-11 में 15 मिनट की अवधि के लिए डाटा प्रविष्टि गति परीक्षा (डीईएसटी) का आयोजन होगा।
- 13.8.11.2 "डाटा एंट्री गति परीक्षा" (डीईएसटी)(पन्द्रह) मिनटों की अवधि की लगभग 2000(दो हजार) की-डिप्रेसन के एक अनुच्छेद के लिए आयोजित की जाएगी। कौशल परीक्षा संबंधी विस्तृत अनुदेश आयोग के क्षेत्रीयकार्यालयों द्वारा दिए जाएंगे। टंकण परीक्षा/डीईएसटी के मूल्यांकन के बारे में सूचना आयोग की वेबसाइट www.ssc.nic.in (candidate's corner) पर उपलब्ध हैं।
- 13.8.11.3 डीईएसटी सभी पदों के लिए अनिवार्य है; तथापि यह अर्हक प्रकृति की होगी।
- 13.8.11.4 जिन पदों के लिए कंप्यूटर प्रवीणता निर्धारित की गई है (पैरा 13.8.10 पर यथाउल्लिखितानुसार) अथवा डीईएसटी निर्धारित की गई है, जैसे- सीबीआईसी में कर सहायक, सीबीडीटी में कर सहायक तथा केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (वित्त मंत्रालय) में प्रवर श्रेणी लिपिक/वरिष्ठ सचिवालय सहायक, उनके लिए दूसरे पदों की तुलना में उच्चतर अर्हता मानक निर्धारित किए जाएंगे।
- 13.8.11.5 डीईएसटी, उक्त प्रयोजनार्थ आयोग द्वारा निर्णित तरीके से आयोजित की जाएगी।
- 13.8.11.6 बेंचमार्क दिव्यांगजन-अ.दि. अभ्यर्थी डीईएसटी से छूट के पात्र हैं, बशर्ते कि ऐसे अभ्यर्थी सक्षम मेडिकल प्राधिकारी, अर्थात सरकारी स्वास्थ्य देख-रेख संस्थान के सिविल सर्जन से प्राप्त निर्धारित प्रारूप (अनुबंध -XVI) में आयोग को प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें कि वे शारीरिक दिव्यांगता के कारण टंकण परीक्षा देने के लिए स्थाई रूप से अनफिट हैं। तथापि, सीबीडीटी में कर सहायक जिसके लिए डीईएसटी छूट उपलब्ध है, को छोड़कर ऐसी छूट उन पदों के लिए उपलब्ध नहीं है जिनके लिए कंप्यूटर प्रवीणता (पैरा 13.8.10 पर यथाउल्लिखितानुसार) अथवा डीईएसटी (पैरा 13.8.11.4 पर यथाउल्लिखितानुसार) निर्धारित की गई है। अन्य कोई भी बेंचमार्क दिव्यांगजन अभ्यर्थी डीईएसटी से छूट के लिए पात्र नहीं है।
- 13.8.11.7 बेंचमार्क दिव्यांगजन/ दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो परीक्षा विज्ञप्ति के पैरा 7.1, 7.2 और 7.3 के अनुसार प्रलिपिक के लिए पात्र है उन्हें कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा में 5 (पाँच) मिनट के अतिरिक्त क्षतिपूरक समय की अनुमति दी जाएगी। केवल वे दृष्टि दिव्यंग अभ्यर्थी जिन्होंने लिखित परीक्षा में प्रलिपिक का विकल्प चुना है उन्हें कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा के समय पाठ वाचक प्रदान किया जाएगा।

13.9 निर्देशात्मक पाठ्यक्रम (टियर-I):

13.9.1 **टियर-I: सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्कशक्ति** : इसमें शब्दिक और गैर-शब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे। इस घटक में सादृश्यों, समानताओं तथा अंतरों, स्थानिक कल्पना, स्थानिक आभिविन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण, अनुमान, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क एवं आकृति संबंधी वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, गैर-शब्दिक श्रृंखला, कोडिंग एवं डिकोडिंग, विवरण निष्कर्ष, न्यायसंगत तर्क आदि से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे। इसमें विषय हैं: सीमेंटिक समानता, प्रतीकात्मक/अंक संबंधी समानता, आंकड़े संबंधी समानता, सीमेंटिक वर्गीकरण, प्रतीकात्मक/अंक संबंधी वर्गीकरण, आंकड़े संबंधी वर्गीकरण, सीमेंटिक समानता, अंक समानता, आंकड़े संबंधी समानता, समस्या समाधान, शब्द निर्माण, कोडिंग व डिकोडिंग, संख्यात्मक संचालन, प्रतीकात्मक संचालन, उपनति, अन्तराल अभिविन्यास, अन्तराल विज्यूलाइजेशन, वेन डाइग्राम, रेखाचित्र अनुमिति, पंचड होल/ पैटर्न फोल्डिंग व अन्फोल्डिंग, अंकीय पैटर्न फोल्डिंग एवं पूर्ण करना, सूचीकरण, पता मिलान, तिथि व शहर मिलान, केन्द्र कोड/ अनुक्रमांक का वर्गीकरण, छोटे व बड़े अक्षर/ अंक कोडिंग/डिकोडिंग व वर्गीकरण, अंतः स्थपित आंकड़े, आलोचनात्मक विवेचन, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सामाजिक बुद्धिमत्ता।

13.9.2 **सामान्य जानकारी** : इस घटक के प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के परिवेश की सामान्य जानकारी और समाज में उनके अनुप्रयोग की जांच करना होगा। सामयिक घटनाओं और दिन प्रतिदिन के अवलोकन के ऐसे मामलों के ज्ञान एवं उनके वैज्ञानिक पहलू संबंधी अनुभव की जांच करने हेतु भी प्रश्नपत्र पूछे जाएंगे, जिसकी जानकारी की अपेक्षा किसी शिक्षित व्यक्ति से की जा सकती है। इस परीक्षण में भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेषकर इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, सामान्य नीति, वैज्ञानिक अनुसंधान इत्यदि से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे।

13.9.3 **परिमाणात्मक आभिरूचि** : इन प्रश्नों को अभ्यर्थी द्वारा संख्याओं के उपर्युक्त प्रयोग और संख्या के बोध की क्षमता की जांच के लिए तैयार किया जाएगा। इन प्रश्नों के दायरे में पूर्णांक संख्याएं अभिकलन, दशमलव, खण्ड और संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, प्रतिशतता, भाग फल और अनुपात, वर्गमूल, औसत, ब्याज, लाभ एवं हानि, बट्टा, साझेदारी व्यापार, मिश्रण एवं सहसंबंधन, समय और दूरी, समय और कार्य, स्कूली बीजगणित एवं प्रारंभिक करणी के बीजगणितीय ज्ञान, रेखीय समीकरणों के ग्राफ, त्रिकोण और उनके विभिन्न प्रकार के केन्द्र, त्रिकोणों की समरूपता और समानता, वृत्त और उसकी जीवा, स्पर्श रेखाएं, वृत्त की जीवाओं द्वारा अंतरित कोण, दो या अधिक वृत्तों की समान स्पर्श रेखाएं, त्रिकोण, चतुर्भुज, समभुज कोणीय बहुभुज, वृत्त, समप्रिज्म, सम गोलाकार शंकु, सम गोलाकार बेलन, गोला, गोलार्ध, आयताकार समान्तरषट्फलक, त्रिकोणीय अथवा वर्गाकार आधार वाला समभुज कोणीय सम पिरामिड, त्रिकोणमितीय अनुपात, डिग्री और रेडियन माप, मानक सहरूप्यता, अनुपूरक कोण, ऊंचाई और दूरी, हिस्टोग्राम, आवृत्ति बहुभुज, बार आरेख और पाई-चार्ट आएं।

13.9.4 अंग्रेजी परिज्ञान: इसमें अभ्यर्थियों की अंग्रेजी भाषा की समझ, उसके सही प्रयोग, उसके लेखन की योग्यता और परिज्ञान को जांचा जाएगा।

13.9.5 क, ख और घ भागों के प्रश्नों का स्तर, पद के लिए निर्धारित आनिवार्य योग्यता अर्थात् स्नातक की डिग्री के अनुरूप होगा तथा भाग के प्रश्न 10वीं कक्षा स्तर के होंगे।

13.10 निश्चयार्थ पाठ्यक्रम (टियर-II):

13.10.1 पेपर-I के खंड-I का मॉड्यूल-I (गणितीय योग्यता)

13.10.1.1 अंक प्रणाली : पूर्णांक संख्याओं का अभिकलन, दशमलव, खण्ड और संख्याओं के बीच परस्पर संबंध।

13.10.1.2 मौलिक अंकगणितीय संचालन : प्रतिशतता, भागफल और अनुपात, वर्गमूल, औसत, ब्याज (साधारण और चक्रवृद्धि), लाभ एवं हानि, बट्टा, साझेदारी व्यापार, मिश्रण एवं सहसंबंधन, समय और दूरी, समय और कार्य

13.10.1.3 बीजगणित: स्कूली बीजगणित एवं प्रारंभिक करणी (सामान्य समस्या) के बीजगणितीय ज्ञान और रेखीय समीकरणों के ग्राफ।

13.10.1.4 ज्यामिति : सामान्य ज्यामितिय आंकड़ों एवं तथ्यों से परिचित होना : त्रिकोण और उनके विभिन्न प्रकार के केन्द्र, त्रिकोणों की समरूपता और समानता, वृत्त और उसकी जीवा, स्पर्श रेखाएं, वृत्तकी जीवाओं द्वारा अंतरित कोण, दो या अधिक वृत्तों की समान स्पर्श रेखाएं।

13.10.1.5 माप : त्रिकोण, चतुर्भुज, समभुज कोणीय बहुभुज, वृत्त, समप्रिज्म, सम गोलाकार शंकु, सम गोलाकार बेलन, गोला, गोलाध, आयताकार समान्तर षटफलक, त्रिकोणीय अथवा वर्गाकार आधार वाला समभुज कोणीय समपिरेमिड।

13.10.1.6 त्रिकोणमिति : त्रिकोणमिति, त्रिकोणमितीय अनुपात, अनुपूरक कोण, ऊंचाई और दूरी (सामान्य समस्या) मानक सहरूप्यता जैसे $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ आदि।

13.10.1.7 सांख्यिकी और संभावना : तालिकाओं और ग्राफ का प्रयोग : हिस्टोग्राम, आवृत्ति बहुभुज, बार आरेख और पाई-चार्ट, केंद्रीय प्रवृत्ति के उपाय, माध्य, माध्यिका, बहुलक, मानक विचलन; सरल संभावनाओं की गणना।

13.10.2 पेपर-I के खंड-I का मॉड्यूल-II (सामान्य बुद्धिमता एवं तर्कशक्ति) :

13.10.2.1 इसमें शब्दिक और गैर-शब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे। इनमें सीमेंटिक समानता, प्रतीकात्मक संचालन, प्रतीकात्मक/अंक संबंधी समानता, उपनति, आंकड़े संबंधी समानता अन्तराल अभिविन्यास, सीमेंटिक वर्गीकरण, वेन डाइग्राम, प्रतीकात्मक/अंक संबंधी वर्गीकरण, रेखाचित्र अनुमिति, आंकड़े संबंधी वर्गीकरण, पंचड होल/ पैटर्न फोल्डिंग व अन्फोल्डिंग, सीमेंटिक समानता, अंक समानता, अंतः स्थपित आंकड़े, आंकड़े संबंधी समानता, आलोचनात्मक विवेचन, समस्या समाधान, कोडिंग/डिकोडिंग, संख्यात्मक संचालन, अन्य संबंधित विषय, यदि कोई है, आदि से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे।

- 13.10.3 **पेपर-I के खंड-II का मॉड्यूल-I (अंग्रेजी भाषा एवं परिज्ञान) :**
- 13.10.3.1 शब्दावली, व्याकरण, वाक्य संरचना, समानार्थक, विलोमार्थक और उनका उचित प्रयोग; गलती की पहचान, रिक्त स्थानों की पूर्ति, समानार्थक, विलोमार्थक, वर्तनी/अशुद्ध शब्दों की पहचान, मुहावरे और वाक्यांश, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यों का सुधार, क्रियाओं के क्रियाओं के कर्तृ वाच्य/कर्मवाच्य, प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष वर्णन का परिवर्तन, परिच्छेद में वाक्यों के भागों का परिवर्तन, निकट परिच्छेद और परिज्ञान परिच्छेद। बोध के परीक्षण हेतु तीन या उससे अधिक अनुच्छेद दिए जाएंगे और उनके आधार पर दिए गए प्रश्न पूछे जाएंगे। कम से कम एक अनुच्छेद साधारण, एक अनुच्छेद किसी पुस्तक अथवा कहानी पर आधारित और अन्य दो अनुच्छेद सामयिकी पर, किसी रिपोर्ट या संपादकीय पर आधारित होना चाहिए।
- 13.10.4 **पेपर-I के खंड-II का मॉड्यूल-II (सामान्य जागरूकता) :**
- 13.10.4.1 प्रश्नों को अभ्यर्थियों की अपने आस-पास के वातावरण की सामान्य जागरूकता और समाज में उसके अनुप्रयोग के परीक्षण हेतु तैयार किया गया है। प्रश्नों को वर्तमान घटनाओं के ज्ञान का परीक्षण करने के लिए और रोजमर्रा के ऐसे मामलोंके अवलोकन और उनके वैज्ञानिक पहलुओं में अनुभव के परीक्षण करने हेतु भी तैयार किया गया हैजैसा कि एक शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षित हो सकता है।
- 13.10.5 **पेपर-I के खंड-III का मॉड्यूल-I (कंप्यूटर दक्षता) :**
- 13.10.5.1 **कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान :** कंप्यूटर की संरचना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट (सीपीयू), इनपुट/आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर मेमोरी, मेमोरी ऑर्गनाइजेशन, बैक-अप डिवाइस, पोर्ट, विंडो एक्सप्लोरर। कीबोर्ड शॉर्टकट।
- 13.10.5.2 **सॉफ्टवेयर :** विंडो, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मूल चीजें जैसे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट आदि।
- 13.10.5.3 **इंटरनेट और ई-मेल के साथ काम करना:** वेब ब्राउजिंग और सर्च करना, डाउनलोड करना और अपलोड करना। ई-मेल अकाउंट का प्रबंधन, ई-बैंकिंग।
- 13.10.5.4 **नेटवर्किंग और साइबर सुरक्षा की मूल बातें:** नेटवर्किंग डिवाइस और प्रोटोकॉल, नेटवर्क और सूचना सुरक्षा खतरे (जैसे हैकिंग, वायरस, वर्म, ट्रोजन आदि) और निवारक उपाय।
- 13.10.6 **पेपर-II (सांख्यिकी) :**
- 13.10.6.1 **सांख्यिकी डाटा का संकलन, वर्गीकरण और प्रस्तुतीकरण-** प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा, डाटा संकलन की पद्धतियां, डाटा को सारणीबद्ध करना, ग्राफ और चार्ट, आवृत्ति संवितरण, आवृत्ति संवितरणों की आरेखीय प्रस्तुति।
- 13.10.6.2 **केन्द्रीय प्रवृत्ति की मापें -** केन्द्रीय प्रवृत्तिकी सार्व माप - माध्य, माध्यिका, बहुलक; विभाजन मूल्य-चतुर्थक, दशमक, शतमा

- 13.10.6.3 **विक्षेपण का मापें** - परिक्षेपण का सार्व माप-रेंज, चतुर्थक अपसरण, माध्य अपसरण तथा मानक अपसरण; साक्षेप विक्षेपण के माप
- 13.10.6.4 **घूर्ण, स्क्यूनेस व करटोसिस-** विभिन्न प्रकार के घूर्ण व उनके संबंध; स्क्यूनेस व करटोसिस का अर्थ; स्क्यूनेस व करटोसिस के विभिन्न माप
- 13.10.6.5 **सहसंबंध एवं प्रतिगमण-** प्रसार आरेख, सामान्य सहसंबंध गुणांक, सामान्य प्रतिगमण रेखाएं; स्पीयरमैन का श्रेणी सहसंबंध, आरोपण के संगुणन की माप; बहुविध प्रतिगमण; बहुविध व आंशिक सहसंबंध (केवल तीन चरों के लिए)।
- 13.10.6.6 **संभाव्यता सिद्धान्त-** संभाव्यता का अर्थ; संभाव्यता की विभिन्न परिभाषाएं; प्रतिबंधित संभाव्यता; संयुक्त संभाव्यता; स्वतंत्र विषय; बेयस का प्रमेय।
- 13.10.6.7 **यादृच्छिक चर एवं संभाव्यता विभाजन-** यादृच्छिक चर; संभाव्यता फलन, यादृच्छिक चर की प्रत्याशा व प्रसरण; यादृच्छिक चर का उच्चतर घूर्ण; द्विपद, पोयजन, सामान्य और घातांकी विभाजन; दो यादृच्छिक चरों का संयुक्त विभाजन (पृथक)।
- 13.10.6.8 **प्रतिदर्श सिद्धान्त** - जनसंख्या एवं प्रतिदर्श की अवधारणा; प्राचल एवं सांख्यिकी, प्रतिदर्श एवं गैर प्रतिदर्श त्रुटियां; संभाव्यता एवं गैर संभाव्यता प्रतिदर्श तकनीक (सामान्य यादृच्छिक प्रतिचयन, स्ट्रेटिफाइड प्रतिदर्श, बहुचरण प्रतिदर्श, बहुपक्ष प्रतिदर्श, समूह प्रतिदर्श, क्रमबद्ध प्रतिचयन, सप्रयोजक प्रतिदर्श, सुविधा प्रतिदर्श, यथांश प्रतिदर्श); प्रतिदर्श विभाजन (केवल विवरण); प्रतिदर्श आकार निर्णय।
- 13.10.6.9 **सांख्यिकीय अनुमान** - बिंदु आकलन व मध्यान्तर आकलन, अच्छे आकलक के गुणधर्म, आकलन की पद्धति (घूर्ण पद्धति, आधिकतम संभविता पद्धति, लघुतम वर्ग पद्धति), परिकल्पना का परीक्षण, परीक्षण की मूल अवधारणा, लघु प्रतिदर्श और विस्तृत प्रतिदर्श परीक्षण, Z, t, Chi-square तथा F सांख्यिकी पर आधारित परीक्षण, निश्चयी अनुमान।
- 13.10.6.10 **प्रसरण विश्लेषण** - एक तरफा वर्गीकृत आंकड़े व दो तरफा वर्गीकृत आंकड़ों का विश्लेषण।
- 13.10.6.11 **समय श्रंखला विश्लेषण** - समय श्रंखलाके घटक, विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से प्रवणता घटक का निर्धारण, विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से आवर्तक अपक्रम की माप।
- 13.10.6.12 **सूचकांक** - सूचकांक का अर्थ, सूचकांक के निर्माण में समस्या, सूचकांक के प्रकार, विभिन्न सूत्र, सूचकांक का मूल विचलन व जोड़, निर्वाह-व्यय सूचकांक, सूचकांक के प्रयोग।
- 13.10.7 **प्रश्नपत्र-III (सामान्य अध्ययन-वित्त एवं अर्थशास्त्र):**
- 13.10.7.1 **भाग-क: वित्त एवं लेखा-(80 अंक):**
- 13.10.7.1.1 **लेखाशास्त्र के आधारभूत सिद्धान्त और मूल अवधारणा :**
- 13.10.7.1.1.1 **वित्तीय लेखाशास्त्र :** प्रकृति तथा कार्यक्षेत्र, वित्तीय लेखाशास्त्र की सीमाएं, मूल अवधारणाएं एवं परम्पराएं, सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धान्त।
- 13.10.7.1.1.2 **लेखाशास्त्र की मूल अवधारणाएं :** एकल एवं दोहरा लेखा, मूल लेखा की बहियां, बैंक समाधान, रोजनामचा, खाता बही, कच्चा चिट्ठा, त्रुटियों का

परिशोधन, विनिर्माण, व्यापार करना, लाभ एवं हानि, विनियोजन लेखा, तुलनपत्र, पूंजीगत व्यय और राजस्व खर्च में भिन्नता, मूल्यहास लेखाकरण, सम्पत्ति सूची का मूल्यांकन, लाभ निरपेक्ष संगठनों का लेखा, प्रप्तियां एवं भुगतान तथा आय एवं व्यय लेखा, विनिमय पत्र, स्वतः संतुलन लेखा बहियां।

- 13.10.7.2 **भाग-ख: अर्थशास्त्र और आभिशासन-(120 अंक):**
- 13.10.7.2.1 **भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक-सांविधानिक प्रावधान, भूमिका और उत्तरदायित्व।**
- 13.10.7.2.2 **वित्त आयोग- भूमिका एवं कार्य।**
- 13.10.7.2.3 **अर्थशास्त्र की मूल अवधारणाएं तथा सूक्ष्म अर्थशास्त्र के बारे में परिचय:** परिभाषा, अर्थशास्त्र का कार्यक्षेत्र तथा प्रकृति, अर्थशास्त्र अध्ययन की पद्धतियां तथा अर्थव्यवस्था और उत्पादन सम्भावना वक्र की केन्द्रीय समस्याएं।
- 13.10.7.2.4 **मांग और पूर्ति का सिद्धांत:** मांग का अर्थ और निर्धारक तत्व, मांग का सिद्धांत और मांग की लोच, मूल्य, आय एवं तिर्यक लोच; उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत- मार्शलियनप्रस्ताव तथा अनधिमान वक्र प्रस्ताव, पूर्ति का अर्थ और निर्धारक तत्व, पूर्ति का सिद्धांत और पूर्ति की लोच।
- 13.10.7.2.5 **उत्पादन और लागत का सिद्धांत:** उत्पादन का अर्थ और कारक; उत्पादन के सिद्धांत- परिवर्तनीय समानुपातों के सिद्धांत एवं अनुमाप प्रतिवर्तन के सिद्धांत।
- 13.10.7.2.6 **बाजार के प्रकार और विभिन्न बाजारों में मूल्य निर्धारण:** बाजारों के विभिन्न प्रकार- आदर्श प्रतिस्पर्द्धा, एकधिकार, एकधिकारात्मक प्रतिस्पर्द्धा और अल्पधिकार तथा इन बाजारों में मूल्य निर्धारण।
- 13.10.7.2.7 **भारतीय अर्थव्यवस्था :**
- 13.10.7.2.7.1 भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृतिविभिन्न क्षेत्रों की भूमिका, कृषि, उद्योग और सेवाओं की भूमिका- उनकी समस्याएं और विकास।
- 13.10.7.2.7.2 भारत की राष्ट्रीय आय- राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं, राष्ट्रीय आय का मापन करने की विभिन्न पद्धतियां।
- 13.10.7.2.7.3 जनसंख्या- इसका आकार, वृद्धि की दर और आर्थिक विकास पर इसका प्रभाव।
- 13.10.7.2.7.4 गरीबी तथा बेरोजगारी-निरपेक्ष एवं सापेक्ष गरीबी, प्रकार, बेरोजगारी के कारण और प्रभाव।
- 13.10.7.2.7.5 संरचना- ऊर्जा, परिवहन, संचार।
- 13.10.7.2.8 **भारत में आर्थिक सुधार:** 1991 से आर्थिक सुधार, उदारीकरण, निजीकरण, सार्वभौमीकरण और विनिवेश।
- 13.10.7.2.9 **धन तथा बैंकिंग :**
- 13.10.7.2.9.1 मौद्रिक/राजकोषीय नीति, भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका तथा कार्य, व्यापारिक बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/भुगतान बैंकों के कार्य।
- 13.10.7.2.9.2 बजट तथा राजकोषीय घाटा और भुगतानों का संतुलन।

13.10.7.2.9.3 राजकोषीय उत्तरदयित्व एवं बजट प्रबंधन आधिनियम,2003 ।

13.10.7.2.10 आभिशासन में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका ।

13.10.8 पेपर-I के खंड-I के मॉड्यूल-I (गणितीय योग्यता) में प्रश्न मेट्रिकुलेशन स्तर के, पेपर-I के खंड-II के मॉड्यूल-I (अंग्रेजी भाषा एवं परिज्ञान) में प्रश्न 10+2 स्तर के एवं पेपर-II और पेपर-III में प्रश्न स्नातक स्तर के होंगे ।

14. परीक्षा में प्रवेश

14.1 उन सभी अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बैठने हेतु आयोग के क्षेत्रीय/ उपक्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा रोल नंबर और प्रवेश-पत्र (प्र.प) दिया जाएगा, जो इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में अंतिम तारीख और समय तक अपना पंजीकरण कराते हैं और जिनके आवेदन सुव्यवस्थित पाए जाते हैं और आयोग द्वारा परीक्षा की इस विज्ञप्ति में दी गई शर्तों के अनुसार अनंतिम या अस्थायी रूप से स्वीकार किए जाते हैं। तदनंतर, अर्हक अभ्यर्थियों को परीक्षा के अगले स्तर के लिए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे।

14.2 आयोग लिखित परीक्षा के समय पात्रता और अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की विस्तृत जांच नहीं करेगा और इसलिए, अभ्यर्थिता केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। अभ्यर्थियों को शैक्षिक योग्यता, आयु, शारीरिक और चिकित्सा मानकों आदि की आवश्यकताओं के बारे में पढ़ने और उनके बारे में स्वयं को संतुष्ट करने की सलाह दी जाती है कि वे उक्त पद (पदों) के लिए पात्र हैं। दस्तावेज सत्यापन के समय शैक्षिक योग्यता से संबंधित प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों की प्रतियां मांगकर्ता प्रयोक्ता विभागों/संगठनों द्वारा मांगे जाएंगे। शारीरिक और चिकित्सा मानकों की जांच परिणाम घोषित किए जाने के पश्चात प्रयोक्ता विभागों द्वारा की जाएगी। अभ्यर्थी यह भी नोट करें कि मांगकर्ता प्रयोक्ता विभाग/संगठन द्वारा मांगे जाने पर उन्हें अपनी शैक्षिक योग्यता/जाति/श्रेणी से संबंधित प्रमाणपत्र/दस्तावेज जमा करने होंगे । शैक्षिक योग्यता/जाति/श्रेणी से संबंधित प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों आदि की जांच के पश्चात यदि आवेदन में किए गए किसी भी दावे को पुष्ट नहीं पाया जाता है, तो अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी ।

14.3 परीक्षा के सभी स्तरों के प्रवेश-पत्र आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा की अद्यतन जानकारी के लिए नियमित रूप से कर्मचारी चयन आयोग मुख्यालय की वेबसाइट(अर्थात <https://ssc.nic.in>) और संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय जिसके क्षेत्राधिकार में अभ्यर्थी द्वारा चुना गया केंद्र स्थित है(ब्योरा पैरा 12.1 पर है) का अवलोकन करते रहें।

14.4 परीक्षा के बारे में सूचनाएं, जिसमें परीक्षा की समय-सारणी और प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए परीक्षा का शहर/केंद्र की जानकारी होगी, परीक्षा की तारीख से लगभग दो सप्ताह पहले आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय केंद्रों की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी को परीक्षा की तारीख से एक सप्ताह पूर्व तक प्रवेश-पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो उसे तत्काल आवेदन प्रस्तुत करने के अपने प्रमाण के साथ आयोग के

संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालयसे संपर्क करना चाहिए। ऐसा न करने पर वह परीक्षा में बैठने के अपने दावे पर विचार किए जाने से वंचित हो जाएगा।

- 14.5 अभ्यर्थी को आयोग के साथ कोई भी पत्राचार करते समय अपना पंजीकरण आईडी, अनुक्रमांक संख्या, पंजीकृत ईमेल आईडी, अपने नाम के साथ-साथ अपना मोबाइल नम्बर, जन्म तिथि और परीक्षा का नाम अवश्य लिखना चाहिए। इन विवरणों के न दिए जाने पर अभ्यर्थी के पत्राचार पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
- 14.6 परीक्षा से लगभग 3-7 दिन पहले प्रवेश-पत्र डाउनलोड करने की सुविधा संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र का प्रिंटआउट परीक्षा हॉल में लाना होगा।
- 14.7 प्रवेश प्रमाण-पत्र के अलावा, कम से कम दो पासपोर्ट आकार के हाल ही की दो रंगीन फोटो, मूल वैध फोटो-आईडी साक्ष्य जिसमें वह जन्म तिथि अंकित हो जोकि प्रवेश-पत्र में दी गई है, लाना अनिवार्य है, जैसे:
- 14.7.1 आधार कार्ड/ई-आधार का प्रिंटआउट,
 - 14.7.2 मतदाता पहचान-पत्र,
 - 14.7.3 ड्राइविंग लाइसेंस,
 - 14.7.4 पैन कार्ड,
 - 14.7.5 पासपोर्ट,
 - 14.7.6 विश्वविद्यालय/कॉलेज/स्कूल द्वारा जारी पहचान-पत्र,
 - 14.7.7नियोक्ता द्वारा जारी पहचान-पत्र (सरकारी/ सार्वजनिक उपक्रम/ निजी),
 - 14.7.8 रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक की सेवा निवृत्ति पंजिका,
 - 14.7.9 केंद्रीय/राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटो प्रमाण-पत्र ।
- 14.8 यदि फोटो पहचान पत्र पर जन्मतिथि अंकित नहीं है, तो उम्मीदवार को अपनी जन्म-तिथि के साक्ष्य के रूप में एक अतिरिक्त मूल दस्तावेज (जैसे- सीबीएसई/ आईसीएसई/ राज्य बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक सर्टिफिकेट, अंक-पत्र; जन्म प्रमाण-पत्र, श्रेणी प्रमाण-पत्र) लाना चाहिए। यदि प्रवेश प्रमाण-पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि और जन्मतिथि के समर्थन में लाए गए फोटो पहचान पत्र/प्रमाण पत्र मेल नहीं खाते हैं तो अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 14.9 पैरा 7.1, 7.2 और 7.3 के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांगजन/ दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो प्रलिपिक की सुविधा का उपयोग करेंगे, उन्हें यथा-उल्लिखित मेडिकल सर्टिफिकेट/वचन-पत्र/प्रलिपिक के फोटो पहचान-पत्र की फोटोकॉपी भी साथ में लाना आवश्यक है। उपरोक्त दस्तावेजों के बिना अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 14.10 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेश प्रमाण पत्र में उल्लिखित कोई अन्य दस्तावेज भी लेकर आएगा।
- 14.11 धुंधली तस्वीर और/या हस्ताक्षर वाले आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे।

15. दस्तावेज सत्यापन (डीवी):

- 15.1 मिशन मोड में सरकार द्वारा की जाने वाली भर्तियों को देखते हुए और समस्त भर्ती प्रक्रिया में शीघ्रता लाने हेतु, आयोग ने निर्णय लिया है कि दस्तावेज सत्यापन (डीवी) प्रयोक्ता विभागों/संगठनों द्वारा किया जाएगा।
- 15.2 सत्यापन के लिए अर्हक सभी अभ्यर्थियों को पैरा सं.15.9 में किए गए उल्लेख अनुसार मूल दस्तावेजों और उनकी छाया प्रतियों के साथ दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होना होगा।
- 15.3 अभ्यर्थियों से विभिन्न पदों और विभागों के लिए वरीयता आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म के माध्यम से अंतिम परिणाम की घोषणा से पूर्व लिया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी ने किसी पद और मंत्रालय/विभाग/संगठन के लिए अपनी वरीयता नहीं दी है तो उसके नाम पर उस पद और मंत्रालय/विभाग/संगठन हेतु विचार नहीं किया जाएगा। एक बार दिए गए विकल्पों को अंतिम माना जाएगा और बाद में किसी भी परिस्थिति में उनमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अतः, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे विकल्प देते समय सावधानी बरतें।
- 15.4 अभ्यर्थी, जो दिए गए निर्धारित समय के भीतर आयोग की वेबसाइट पर अपनी पद वरीयता(ओं) को जमा नहीं करते हैं, उनके नाम पर अंतिम परिणाम में किसी भी पद के लिए विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को पदों की वरीयता के प्रयोग हेतु अन्य कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा और इसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। इससे संबंधित किसी भी प्रकार जैसे पोस्ट, फैक्स, ई-मेल, दस्ती आदि के माध्यमों से प्राप्त शिकायत पर आयोग द्वारा कार्रवाई नहीं की जाएगी और उसे सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।
- 15.5 ऑनलाइन पदों/विभागों की वरीयता देते हुए, अभ्यर्थी नोट करें कि निम्नलिखित पदों के लिए शारीरिक मानक, शारीरिक जांच और चिकित्सा मानकों की विशिष्ट आवश्यकताएं हैं :
- 15.5.1 निरीक्षक (केंद्रीय उत्पाद शुल्क) – केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
- 15.5.2 निरीक्षक (परीक्षक) – अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
- 15.5.3 निरीक्षक (निवारक अधिकारी) -अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
- 15.5.4 इंस्पेक्टर - केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो
- 15.5.5 उप-निरीक्षक - केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, वित्त मंत्रालय
- 15.5.6 एनसीबी, गृह मंत्रालय में उप-निरीक्षक/ कनिष्ठ आसूचना अधिकारी
- 15.5.7 उप-निरीक्षक- केंद्रीयअन्वेषण ब्यूरो
- 15.5.8 उप-निरीक्षक- राष्ट्रीय जांच एजेंसी

- 15.6 15.5.1 से 15.5.8 तक के पदों के संदर्भ में शारीरिक मानक और शारीरिक जांच के बारे में विस्तृत जानकारी, अनुबंध-XVII में दी गई है।
- 15.7 अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे अपनी प्राथमिकताओं/विकल्प देने से पहले शारीरिक मानक, शारीरिक परीक्षण और चिकित्सा मानकों की सभी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के अंतिम चयन और नामांकन के बाद संबंधित उपयोगकर्ता विभाग द्वारा शारीरिक मानकों, शारीरिक परीक्षणों का मापन और चिकित्सा जांच का आयोजन किया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी ऐसे परीक्षणों में विफल रहता है, तो उसकी अभ्यर्थिता को बाद में किसी अन्य पद/विभाग के लिए नहीं माना जाएगा। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे इन आवश्यकताओं के बारे में अच्छी तरह से जाने और पदों/विभागों की अपनी पसंद को वरीयता दें।
- 15.8 अभ्यर्थियोंको दस्तावेजसत्यापन के लिए आवेदन करते समय हाल की दो पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो और एक मूल वैध फोटो पहचान पत्र जैसाकि ऊपर पैरा 14.7 में सूचीबद्ध है, लाना होगा।
- 15.9 अभ्यर्थियों को निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां जमा करनी होंगी:
- 15.9.1 मैट्रिक / माध्यमिक प्रमाण पत्र
- 15.9.2 शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र
- 15.9.3 जाति/श्रेणी प्रमाणपत्र, यदि आरक्षित श्रेणियों के अंतर्गत है
- 15.9.4 यदि आवश्यक हो तो आवश्यक प्रारूप में बेंचमार्क दिव्यांगजन प्रमाण पत्र
- 15.9.5 भूतपूर्व सैनिकों के लिए (ईएसएम):
- 15.9.5.1 यदि लागू हो, तो अनुबंध-VIII के अनुसार सेवारत रक्षा कार्मिक प्रमाण पत्र देना।
- 15.9.5.2 अनुबंध-IX के अनुसार वचनबंध।
- 15.9.5.3 सेवा निवृत्ति का प्रमाणपत्र, अगर सशस्त्र बल से सेवानिवृत्त होते हैं।
- 15.9.6 प्रासंगिक प्रमाण पत्र यदि आयु में छूट की मांग करता है।
- 15.9.7 केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों द्वारा अनुबंध-VII के अनुसार प्रमाण पत्र।
- 15.9.8 अनापत्ति प्रमाण पत्र, पहले से ही सरकारी / सरकारी उपक्रमों में नियोजित होने पर।
- 15.9 यदि कोई अभ्यर्थी मैट्रिकुलेशन के बाद विवाह या पुनर्विवाह या तलाक आदि के कारण नाम में परिवर्तन करने का दावा करता है तो निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे:
- 15.9.9.1 महिलाओं के विवाह के मामले में: पति के पासपोर्ट की फोटो कॉपी जिसमें पति का नाम दर्शाया गया हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह-प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति

यापति और पत्नी के संयुक्त फोटो सहित पति व पत्नी द्वारा शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवतशपथ ग्रहण संबंधी शपथ पत्र;

- 15.9.9.2 महिलाओं के पुनर्विवाह के मामले में: यथा-स्थिति, पहले पति से तलाक संबंधी विलेख/ मृत्यु प्रमाण पत्र; और वर्तमान पति के पासपोर्ट की फोटोकॉपी जिसमें पति का नाम दर्शाया गया हो याविवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह-प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति या पति और पत्नी के संयुक्त फोटो सहित पति व पत्नी द्वारा शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ग्रहण संबंधी शपथ पत्र;
- 15.9.9.3 महिलाओं के तलाक के मामले में: तलाक की डिक्री की प्रमाणित प्रति और शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ग्रहण संबंधी एक पक्षीय अभिलेख/शपथपत्र;
- 15.9.9.4 पुरुष और महिलादोनों के लिए नाम बदलने की अन्य परिस्थितियों में:शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ग्रहण संबंधी एक पक्षीय अभिलेख/शपथपत्रऔर मूल रूप से दो प्रमुख दैनिक समाचारपत्रों की पेपर कटिंग (एक दैनिक समाचारपत्र आवेदक के स्थायी और वर्तमान पते या आसपास के क्षेत्र का होना चाहिए) और राजपत्र अधिसूचना।

15.10 दस्तावेज सत्यापन के लिए प्रवेश-पत्र में निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

16 चयन का तरीका:

- 16.1 टियर-I के खंड-I, खंड-II और टियर-II के पेपर-I के खंड-III के मॉड्यूल-I तथा टियर-II के पेपर-II तथा पेपर-III परीक्षा में न्यूनतम अर्हक अंक निम्नानुसार हैं:-
- | | | |
|--------|-------------------------------|-------|
| 16.1.1 | अना | : 30% |
| 16.1.2 | अपिव/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | :25% |
| 16.1.3 | अन्य सभी श्रेणियां | : 20% |
- 16.2 टियर-II के पेपर-I के खंड-III के मॉड्यूल-II की परीक्षा अर्थात डीईएसटी में अधिकतम अनुमत्य त्रुटियों का प्रतिशत (अर्थात न्यूनतम अर्हक मानक) निम्नलिखित है :
- | | | |
|--------|--------------------------------|-------|
| 16.2.1 | अना | : 20% |
| 16.2.2 | अपिव/आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग | :25% |
| 16.2.3 | अन्य सभी श्रेणियां | : 30% |
- 16.3 टियर-I अर्थात कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर, अभ्यर्थियों को श्रेणी-वार टियर-II परीक्षा में बैठने के लिए शार्ट-लिस्ट किया जाएगा । कनिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी के पद के लिए टियर-II केपेपर-I& पेपर-IIमें बैठने के लिए,सांख्यिकीय अन्वेषक ग्रेड-II के पद के लिए टियर-II केपेपर-I& पेपर-IIमें बैठने के लिए,सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी और सहायक लेखा अधिकारी के पदों के लिएटियर-II के पेपर-I&पेपर-III में बैठने के लिए, और

अन्य सभी पदों के लिए टियर-II के पेपर-I में बैठने के लिए अलग-अलग कट-ऑफ निर्धारित की जाएगी।

- 16.4 टियर-I में अर्हक सभी अभ्यर्थियों के लिए टियर-II परीक्षा आयोजित की जाएगी। सभी अभ्यर्थियों को टियर-II के पेपर-I के तीनों खंडों में उपस्थित होना अपेक्षित होगा। तथापि, केवल कनिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी/ सांख्यिकीय अन्वेषक ग्रेड-II और सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी/सहायक लेखा अधिकारी के पदों के लिए शार्टलिस्ट किए गए विनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों को क्रमशः पेपर-II तथा पेपर-III में उपस्थित होना अपेक्षित होगा।
- 16.5 टियर-II के पेपर-I में, सभी अभ्यर्थियों को सभी खंडों में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
- 16.6 अभ्यर्थियों को टियर-II के पेपर-I के खंड-I तथा खंड-II में उनके समग्र कार्य निष्पादन के आधार पर टियर-II के पेपर-I के खंड-III परीक्षा के मूल्यांकन के लिए शार्टलिस्ट किया जाएगा। जो अभ्यर्थी खंड-I तथा खंड-II में अर्हता प्राप्त नहीं करेंगे वे खंड-III में मूल्यांकन के लिए पात्र नहीं होंगे तथा उन्हें आगे की चयन प्रक्रिया के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
- 16.7 टियर-II के पेपर-I का खंड-III अर्हक प्रकृति का है, अन्य शब्दों में दोनों मॉड्यूल अर्थात् कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा एवं डीईएसटी अर्हक प्रकृति के हैं। तथापि, मॉड्यूल-I में अन्य पदों की तुलना में उन पदों के लिए आयोग द्वारा यथानिर्णीत अलग उच्चतर कट-ऑफ निर्धारित की जाएगी जिन पदों (यथाउल्लिखित पैरा 13.8.10के अनुसार) के लिए कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा निर्धारित की गई है। इसी प्रकार, मॉड्यूल-II अर्थात् डीईएसटी में अन्य पदों की तुलना में उन पदों के लिए आयोग द्वारा यथानिर्णीत अलग उच्चतर कट-ऑफ निर्धारित की जाएगी जिन पदों (यथाउल्लिखित पैरा 13.8.11.4के अनुसार) के लिए कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा निर्धारित की गई है।
- 16.8 अभ्यर्थियों से विभिन्न पदों तथा विभागों की वरीयता के लिए विकल्प या तो दस्तावेज सत्यापन से पहले आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म के माध्यम से लिया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी ने किसी पद और मंत्रालय/विभाग/संगठन के लिए अपनी वरीयता नहीं दी है तो उसके नाम पर उस पद और मंत्रालय/विभाग/संगठन के लिए विचार नहीं किया जाएगा। एक बार दिए गए विकल्पों को अंतिम माना जाएगा और बाद में किसी भी परिस्थिति में उनमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अतः, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे विकल्प देते समय सावधानी बरतें।
- 16.9 जो अभ्यर्थी निर्धारित समय के भीतर आयोग की वेबसाइट पर अपनी पद वरीयता(ओं) को प्रस्तुत नहीं करते हैं, उसके नाम पर अंतिम परिणाम में किसी भी पद के लिए विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को पदों की वरीयता के देने हेतु अन्य कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा और इसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। इससे संबंधित किसी भी अन्य

माध्यमों जैसे पोस्ट, फैक्स, ई-मेल, दस्ती आदि से प्राप्त शिकायत पर आयोग द्वारा कार्रवाई नहीं की जाएगी और उसे सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।

- 16.10 पैरा-15.5 में सूचीबद्ध पदों के लिए शारीरिक तथा चिकित्सा मानक अनिवार्य है जिसमें शारीरिक क्षमता परीक्षा (ऐसी अपेक्षाओं का ब्यौरा अनुबंध-XVII में उपलब्ध है) शामिल है। ऐसे शारीरिक एवं चिकित्सीय मानकों की जांच संबंधित उपयोगकर्ता विभाग द्वारा अभ्यर्थियों के अंतिम चयन के पश्चात की जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी ऐसे परीक्षणों में विफल रहता है, तो उसकी अभ्यर्थिता को बाद में किसी अन्य पद/विभाग के लिए नहीं माना जाएगा। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे इन आवश्यकताओं के बारे में अच्छी तरह से जाने और पदों की अपनी पसंद को वरीयता दें।
- 16.11 केवल टियर-II में समग्र प्रदर्शन के आधार पर अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी।
- 16.12 कनिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी (जेएसओ) और सांख्यिकीय अन्वेषक अधिकारी ग्रेड-II के पद के लिए मेरिट लिस्ट टियर-II के पेपर-I के खंड-III (दोनों मॉड्यूल) में अर्हता प्राप्त करने के अधीन, टियर-II के पेपर-I के खंड-I और खंड-II तथा पेपर-II में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी।
- 16.13 सहायक लेखा परीक्षा आधिकारी/सहायक लेखा आधिकारी के पदों के लिए मेरिट लिस्ट टियर-II के पेपर-I के खंड-III (दोनों मॉड्यूल) में अर्हता प्राप्त करने के अधीन, टियर-II के पेपर-I के खंड-I और खंड-II तथा पेपर-III में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी।
- 16.14 जिन पदों (यथाउल्लिखित पैरा 13.8.11.4 के अनुसार) के लिए डीईएसटी (DEST) निर्धारित की गई है, मेरिट लिस्ट टियर-II के पेपर-I के खंड-III के मॉड्यूल-I (अर्थात कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा) में सामान्य मानकों पर और टियर-II परीक्षा के पेपर-I के खंड-III के मॉड्यूल-II (अर्थात डीईएसटी) उच्चतर मानकों पर अर्हता प्राप्ति के अध्याधीन टियर-II परीक्षा के पेपर-I के खंड-I & खंड-II में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी।
- 16.15 जिन पदों (यथाउल्लिखित पैरा 13.8.10 के अनुसार) के लिए सीपीटी निर्धारित की गई है, मेरिट लिस्ट मॉड्यूल (अर्थात कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा) और टियर-II परीक्षा के पेपर-I के मॉड्यूल-II (अर्थात डीईएसटी) के खंड- III में उच्चतर मानकों पर अर्हता प्राप्ति के अध्याधीन टियर- II परीक्षा के पेपर- I के खंड-I और खंड-II में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी।

- 16.16 अन्य सभी पदों के लिए मेरिट लिस्ट टियर-II के पेपर-I के खंड-III (दोनो मॉड्यूल) में अर्हताप्राप्ति के अध्यक्षीन टियर-II परीक्षा के पेपर-I के खंड-I और खंड-II में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी।
- 16.17 प्रत्येक श्रेणी में अभ्यर्थियों का अंतिम चयन, 'टियर- II परीक्षा में समग्र प्रदर्शन' और उनके द्वारा दी गई 'पद वरीयता' के आधार पर किया जाएगा। अभ्यर्थी को उसकी योग्यता के अनुसार प्रथम उपलब्ध वरीयता देने के बाद उसे कोई अन्य विकल्प नहीं दिया जाएगा। अतः अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक है कि वे पदों की वरीयता देते समय बहुत सावधानी बरतें। अभ्यर्थियों द्वारा एक बार प्रयोग किए गए विकल्प/वरीयता को अंतिम और अपरिवर्तनीय माना जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा आवंटन/सेवा में परिवर्तन करने के तदनंतर अनुरोध पर किसी भी कारणवश / परिस्थिति में कार्रवाई नहीं की जाएगी।
- 16.18 पदों का अंतिम आवंटन अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए पदों/विभागों की योग्यता-सह-वरीयताओं के आधार पर किया जाता है और एक बार एक पद आवंटित हो जाने के बाद, किसी विशिष्ट पद जिनमें शारीरिक/चिकित्सा/शैक्षिक मानकों की आवश्यकताएं हैं, उसकी पूर्ति न होने के कारण आयोग द्वारा पदों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अन्य शब्दों में, उदाहरण के लिए, यदि किसी अभ्यर्थी ने किसी पद के लिए उच्च वरीयता दी है और उस पद के लिए उसका चयन किया जाता है; उस स्थिति में, यदि वह उस पद के लिए चिकित्सा/शारीरिक/शैक्षिक मानकों को पूरा करने में विफल रहता है, तो उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी और किसी अन्य पद के लिए उस पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 16.19 अजा, अजजा, अपिव, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, भूपूसै और बेंचमार्क दिव्यांगजन अभ्यर्थी मानकों में छूट दिए बिना ही अपनी योग्यता से चयनित होते हैं तो उन्हें आरक्षित रिक्तियों के समक्ष समायोजित नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को योग्यता सूची में उनकी समग्र स्थिति अथवा उनकी श्रेणी के लिए उद्दिष्ट की गई रिक्तियों के अनुसार सामान्य/अनारक्षित रिक्तियों में उस पद से सहयोजित किया जाएगा, जो उनके लिए लाभप्रद हो। आरक्षित रिक्तियां अलग से अजा, अजजा, आपिव, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, भूपूसै और दिव्यांगजन श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी।
- 16.20 अजा, अजजा, अपिव, आकव, भूतपूर्व सैनिक और बेंचमार्क दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थी, जो आयु सीमा, अनुभव या योग्यता लिखित परीक्षा में अनुमत्य अवसरों की संख्या, विचारार्थ विस्तृत क्षेत्र आदि जैसे मानकों में छूट के आधार पर अर्हता प्राप्त करते हैं, चाहे योग्यता सूची में उसका स्थान

कुछ भी हो, वह आरक्षित रिक्तियों में शामिल किए जाएंगे न कि सामान्य रिक्तियों में। ऐसे अभ्यर्थियों को आरक्षित कोटे में कमी को पूरा करने के लिए, योग्यताक्रम में उनके रैंक पर ध्यान दिए बिना उनकी आरक्षित रिक्तियों की संख्या की सीमा तक मानकों में छूट देकर नियुक्ति हेतु अनुसंशित किया जा सकता है। जहां तक भूपूसै के मामलों का संबंध है, आरक्षित या अनारक्षित पदों के लिए भूपूसै को सैन्य सेवा की अवधि के बराबर आयु में कटौती अनुमत्य है तथा इस छूट को आयु के संदर्भ में मानकों में छूट नहीं कहा जाएगा। इसी प्रकार दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा 10 वर्ष की छूट को मानकों में छूट नहीं माना जाएगा।

- 16.21 बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति जो अपनी योग्यता के आधार पर चुना गया है, अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते कि वह पद संगत श्रेणी के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त हो।
- 16.22 सरकार यथावश्यक जांच के पश्चात जब तक इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है, तब तक परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के आधार पर अभ्यर्थी को नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता है।
- 16.23 परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे इस परीक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं। परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश, पात्रता की निर्धारित शर्तें पूरी करने के अध्यधीन, पूर्णतया अनन्तिम होगा। लिखित परीक्षा से पहले अथवा बाद में जांच करने पर यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि वे पात्रता की किसी शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।
- 16.24 नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों को भारतवर्ष में कहीं भी सेवा करनी पड़ सकती है अर्थात् वे सभी पद अखिल भारतीय सेवा दायित्व (अ.भा.से.दा.) के हैं।
- 16.25 अंतिम रूप से चयन किए जाने पर अभ्यर्थियों को संबंधित प्रयोक्ता मंत्रालय/विभाग/संगठन द्वारा एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/ जोन आवंटित किया जा सकता है। ऐसे अभ्यर्थियों को संबंधित प्रयोक्ता मंत्रालय/ विभाग/संगठन द्वारा आवंटित पदों पर अभ्यर्थियों के स्थायीकरण (Confirmation) के लिए आवंटित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश/क्षेत्र की स्थानीय भाषा में दक्षता हासिल करने की आवश्यकता हो सकती है।
- 16.26 यदि परीक्षा के किसी भी टियर / चरण में कट-ऑफ अंक से अधिक प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी किसी भी कारण से बाद के चरण/अंतिम चयन के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करता है, तो उसे परिणाम घोषित होने के दो माह के भीतर या अगले चरण की परीक्षा के आयोजन के दो सप्ताह पहले, जो भी पहले हो, आयोग के संबंधित क्षेत्रीय / उप-क्षेत्रीय कार्यालय को अभ्यावेदन देना चाहिए।

16.27 यदि किसी अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हो जाता है और वह आयोग या संबंधित प्रयोक्ता विभाग से अंतिम परिणाम घोषणा होने के एक वर्ष की अवधि के भीतर कोई पत्राचार प्राप्त नहीं करता है, तो उसे संबंधित प्रयोक्ता विभाग से तुरंत संपर्क करना चाहिए।

16.28 आयोग द्वारा केवल एक बार परिणाम घोषित किया जाएगा और प्रयोक्ता विभागों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के बाद शामिल नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थियों का आगे कोई नामांकन नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में, विभाग मौजूदा नियमों के अनुसार रिक्तियों को आगे बढ़ाने के संबंध में आगे की कार्रवाई कर सकते हैं।

16.29 अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद कोई प्रतीक्षा सूची/रिजर्व सूची नहीं होगी।

17. बराबरी (टाई) के मामलों का निपटारा

17.1 टियर-II परीक्षा में अभ्यर्थियों के अंकों में बराबरी के मामले में योग्यता का निर्णय निम्नलिखित मानदंडों को एक बाद दूसरे को अपनाते हुए किया जाएगा जब तक कि बराबरी (टाई) का निपटारा न हो जाए:

17.1.1 कनिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी (जेएसओ)/ सांख्यिकीय अन्वेषक अधिकारी ग्रेड-II और सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी/सहायक लेखा अधिकारी के पदों के लिए क्रमशः टियर-II के पेपर-II एवं पेपर-III की परीक्षा में प्राप्तांक, यदि लागू हो।

17.1.2 टियर-II के पेपर-I के खंड-I में प्राप्त कुल अंक।

17.1.3 जन्म-तिथि देखकर, अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को ऊपर रखा जाता है।

17.1.4 वर्णानुक्रम, जिसमें अभ्यर्थियों का नाम आता है।

18. कदाचार के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई:

18.1 यदि अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान किसी भी स्तर पर निम्नलिखित में से किसी भी दुराचरण/कदाचार के लिए दोषी पाए जाते हैं तो इस परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी और आयोग की ज परीक्षाओं से उन्हें निम्नलिखित अवधि के लिए वारित कर दिया जाएगा।

क्र.सं.	कदाचार का प्रकार	वारित अवधि
1	परीक्षा भवन से परीक्षा संबंधी सामग्री, जैसे- ओएमआर शीट, रफशीट, प्रवेशपत्र की आयोग की प्रति, उत्तर शीटें लेकर बाहर जाना या परीक्षा के आयोजन के दौरान इन्हें किसी	2 वर्ष

	अनधिकृत व्यक्ति को देना।	
2	परीक्षा के दौरान बिना सूचित किए परीक्षा स्थल को छोड़ना	2 वर्ष
3	परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों अर्थात पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि के साथ दुर्व्यवहार करना, उन्हें भयभीत करना या डराना-धमकाना।	3 वर्ष
4	परीक्षा के आयोजन में बाधा पहुंचाना/ अन्य अभ्यर्थियों को परीक्षा न देने के लिए उकसाना	3 वर्ष
5	गलत अथवा झूठे वक्तव्य देना, महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाना, जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना।	3 वर्ष
6	अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लेना।	3 वर्ष
7	‘स्विच ऑन’ या ‘स्विचऑफ’ मोड में मोबाइल फोन रखना।	3 वर्ष
8	नियमों का उल्लंघन करके एक ही परीक्षा में एक से अधिक बार बैठना।	3 वर्ष
9	कोई अभ्यर्थी जो उसी परीक्षा में परीक्षा संबंधी मामलों को देख रहा हो।	3 वर्ष
10	परीक्षा से संबंधित अवसंरचना/उपकरणों को नुकसान पहुंचाना।	5 वर्ष
11	जाली प्रवेश-पत्र, पहचान-पत्र से परीक्षा देना।	5 वर्ष
12	परीक्षा के दौरान आग्नेय शस्त्रों / हथियारों को रखना।	5 वर्ष
13	परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों अर्थात पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि पर हमला करना, उन पर बल प्रयोग करना, किसी भी तरीके से उन्हें शारीरिक हानि पहुंचाना।	7 वर्ष
14	आग्नेय शस्त्रों / हथियारों से परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों को डराना -धमकाना।	7 वर्ष
15	परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, जैसे- कागज या शारीरिक अंगों आदि पर लिखित सामग्री जैसे अनधिकृत स्रोतों से नकल करना।	7 वर्ष
16	परीक्षा कक्ष में ब्लूटूथ उपकरण, स्पाई कैमरा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अपने पास रखना।	7 वर्ष
17	छद्मवेषन / किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप में कार्य साधन कराना।	7 वर्ष
18	स्नेपशाट लेना, प्रश्नपत्रों या परीक्षा सामग्री, लैब आदि का वीडियो बनाना।	7 वर्ष
19	रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर/एप/लैन/वैन इत्यादि के माध्यम से परीक्षा टर्मिनलों को साझा करना।	7 वर्ष
20	परीक्षा से पहले, उसके दौरान या उसके बाद किसी भी समय परीक्षा सर्वरों, डाटा या परीक्षा प्रणाली को हैक करने या जोड़-तोड़ करने की कोशिश करना।	7 वर्ष

18.2 आयोग, यदि उचित समझे, तो इस मामले को पुलिस / जांच एजेंसियों को भी रिपोर्ट कर सकता है। इसके अतिरिक्त, आयोग संबंधित अधिकारियों / फॉरेंसिक विशेषज्ञों, आदि द्वारा मामले की जांच कराने के लिए उचित कार्रवाई भी कर सकता है।

19. **आयोग का निर्णय अंतिम:** पात्रता, आवेदनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन के तरीके, परीक्षा के आयोजन, परीक्षा केन्द्रों के आबंटन, मेरिट सूची और संगठनों के आबंटन, कदाचार में संलिप्त होने पर वारित करने से संबंधित सभी मामलों में आयोग का निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा एवं इस संबंध में कोई पूछ-ताछ /पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।
20. **न्यायालय का क्षेत्राधिकार :** इस भर्ती से संबंधित कोई विवाद उस न्यायालय /न्यायाधिकरण के अधीन होगा जिसके न्याय क्षेत्र में कर्मचारी चयन आयोग का वह संबंधित क्षेत्रीय/ उप क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है, जहां अभ्यर्थी ने परीक्षाएं दी है।
21. रोजगार के अवसरों में बेरोजगार अभ्यर्थियों की पहुंच बढ़ाने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21.06.2016 के का.ज्ञा.संख्या 39020/1/2016-स्था.(ख) के तहत जारी निर्देशों के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि अंतिम परिणाम की घोषणा के पश्चात आयोग द्वारा आयोजित उक्त खुली प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के अंकों तथा रैंकिंग को आयोग की अपनी वेबसाइट पर घटती हुई रैंकिंग के क्रम में प्रदर्शित किया जाएगा। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि अभ्यर्थियों के निम्नलिखित ब्यौरों को इस वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा : (i) अभ्यर्थी का नाम (ii) पिता / पति का पूरा नाम (iii) जन्म तिथि (iv) श्रेणी (सामान्य / अजा/ अजजा/ अपिव/ आकव/ बेंचमार्क दिव्यांगजन / भूपूसै) (v) अभ्यर्थी का लिंग (vi) शैक्षिक योग्यता (vii) अर्हक परीक्षा में प्राप्त कुल अंक (viii) रैंकिंग, जिसके द्वारा योग्यता का निर्धारण किया गया है (ix) पूरा पता (x) ई-मेल पता । तथापि, अपना आवेदन-पत्र भरते समय अभ्यर्थियों के पास सार्वजनिक रूप से उपर्युक्त विवरणों को प्रकट न करने का विकल्प रहेगा। तदनुसार, केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और रैंक आयोग की वेबसाइट/एनसीएस पर उपलब्ध होंगे जिन्होंने उपर्युक्त ब्यौरा प्रकट करने का विकल्प दिया है अथवा अनजाने में विकल्प का प्रयोग नहीं किया है।
22. **अयोग्यता:** कोई भी व्यक्ति, (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का अनुबंध किया हो, जिसकापति या पत्नी जीवित है, या (ख) जिसका पति या पत्नी जीवित हो, उसने किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है, सेवा में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं है, बशर्ते कि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति और अन्य व्यक्ति के लिए लागू पर्सनल लॉ के तहत ऐसे विवाह की अनुमति है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार भी है, उस व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।
23. **अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश:**

(क)	अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले परीक्षा की विज्ञप्ति में दिए गए अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। परीक्षा विज्ञप्ति हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित की गई है। कोई भी विवाद होने पर, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।
-----	---

(ख)	अभ्यर्थियों को उनके हित के लिए सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन अंतिम तारीख से काफी पहले जमा कर दें और अंतिम दिनों के दौरान वेबसाइट पर अत्यंत व्यस्तता के कारण कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट की विसंबंधनता / लॉगइन करने में असमर्थता या विफलता की संभावना से बचने के लिए अंतिम तारीख तक प्रतीक्षा न करें।
(ग)	कर्मचारी चयन आयोग लिखित परीक्षा के समय पात्रता एवं अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की विस्तृत संवीक्षा नहीं करेगा, इसलिए अभ्यर्थिता केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पूर्व शैक्षिक योग्यता, आयु, शारीरिक व चिकित्सीय मापदण्ड इत्यादि की अपेक्षाओं को पढ़ लें और अपनी संतुष्टि कर लें कि वे पद (पदों) के लिए पात्र हैं। शैक्षिक योग्यता और जाति/श्रेणी आदि के समर्थन में सहायक प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों की प्रतियां दस्तावेज सत्यापन के समय मांग करने वाले प्रयोक्ता विभागों/संगठनों द्वारा मांगी जाएंगी। परिणाम घोषित होने के बाद प्रयोक्ता विभागों द्वारा शारीरिक और चिकित्सा मानकों को सुनिश्चित किया जाएगा। अभ्यर्थी यह भी नोट करें कि आयोग या मांगकर्ता प्रयोक्ता विभाग/संगठन द्वारा मांगे जाने पर उन्हें अपने प्रमाणपत्र/शैक्षिक योग्यता/जाति/श्रेणी आदि के दस्तावेज जमा करने होंगे। प्रमाणपत्र/शैक्षिक योग्यता/जाति/श्रेणी आदि के प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों की जांच के बाद, यदि आवेदन में किया गया कोई दावा प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों से सिद्ध नहीं होता है, तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
(घ)	अजा / अजजा / अपिव / आकव / बेंचमार्क दिव्यांगजन लिए उपलब्ध आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि वे इस विज्ञप्ति में निर्धारित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण के हकदार हैं। उनके पास अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित प्रमाणपत्र भी होने चाहिए।
(ङ.)	केवल बेंचमार्क दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों को ही दिव्यांगजन माना जाएगा और वे ही दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण के हकदार होंगे।
(च)	जब आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा तो इसे 'अनंतिम' रूप से स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपने रिकार्ड के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट आऊट लेना चाहिए। आयोग को किसी भी स्तर पर 'आवेदन पत्र' का प्रिंट आऊट भेजने की जरूरत नहीं है।
(छ)	देय शुल्क: 100/- रु. (एक सौ रुपए मात्र)। महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आरक्षण के हकदार भूतपूर्व सैनिकों तथा दिव्यांगजन व्यक्तियों को आवेदन शुल्क का भुगतान करने से छूट है।
(ज)	ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए सामान्य अवधि के दौरान परीक्षा के लिए एक अभ्यर्थी द्वारा केवल एक ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अनुमति है, जिसमें 'आवेदन फॉर्म सुधार के लिए विंडो' की अवधि शामिल नहीं है। इसलिए, अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के समय सावधानी बरतनी चाहिए। यदि विभिन्न पंजीकरण संख्या वाले अभ्यर्थी के एक से अधिक आवेदन पाए जाते हैं, तो आयोग द्वारा सभी आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे और परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन जमा करता है और एक से अधिक बार (किसी भी स्तर पर) परीक्षा में उपस्थित होता है, तो उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी तथा उसे आयोग की परीक्षाओं से नियमानुसार वारित कर दिया जाएगा।

(झ)	ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद, आयोग अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन मापदंडों को सही / संशोधित करने के लिए 2 दिनों की अवधि प्रदान करेगा, जिसमें अभ्यर्थियों को आवश्यकतानुसार एक-बारगी पंजीकरण/ ऑनलाइन आवेदन डाटा में अपेक्षित सुधार/ परिवर्तन करने के बाद आवेदन को पुनः जमा करने की अनुमति दी जाएगी। परीक्षा की सूचना के पैरा-11 में दिए गए विवरण के अनुसार निर्धारित सुधार शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। नवीनतम संशोधित आवेदन को वैध माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के लिए जमा किए गए पिछले आवेदनों को अनदेखा कर दिया जाएगा।
(ञ)	सही / अंतिम ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले, जैसा भी मामला हो, उम्मीदवारों को यह जांचना चाहिए कि उन्होंने फॉर्म के प्रत्येक भाग में सही विवरण भरा है। संशोधित/अंतिम ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने या 'आवेदन प्रपत्र सुधार के लिए विंडो' की अवधि की समाप्ति के बाद, किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन/सुधार/संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, हाथ से आदि किसी भी रूप में प्राप्त अनुरोधों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
(ट)	अभ्यर्थी अपना नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम तथा माता का नाम ठीक वैसा ही लिखें जैसे उनके मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में दिया गया है। अन्यथा दस्तावेज सत्यापन के समय आयोग के ध्यान में जब कभी भी आने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।
(ठ)	लघु/धुंधले फोटोग्राफ और/या प्रारूप के अनुसार फोटो नहीं वाले आवेदनों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। इसी तरह, लघु/धुंधले हस्ताक्षर वाले आवेदनों को खारिज कर दिया जाएगा।
(ड)	अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन में अपना सही तथा सक्रिय ईमेल आईडी तथा मोबाइल नम्बर दें क्योंकि आयोग द्वार ईमेल/एसएमएस के माध्यम से पत्राचार दिया जा सकता है।
(ढ)	आयोग सक्षम प्राधिकारी से उचित प्राधिकरण के अधीन सत्यापन उद्देश्य के लिए अभ्यर्थियों के आधार डेटा का उपयोग कर सकता है।
(ण)	अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में दो पासपोर्ट आकार के फोटो और अपनी हाल ही के फोटो लगा कम से कम एक साक्ष्य, जैसे- आधार कार्ड/ई-आधार का प्रिंट आउट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता कार्ड, पेन कार्ड, विश्वविद्यालय/कॉलेज/सरकारी कार्यालय या कोई अन्य कार्यालय जहां अभ्यर्थी कार्य कर रहा हो, द्वारा जारी पहचान पत्र मूलरूप में अपने साथ लाना चाहिए, जिसके बिना उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि फोटो पहचान पत्र में जन्मतिथि मुद्रित नहीं है तो अभ्यर्थी को अपने जन्मतिथि के साक्ष्य में अतिरिक्त मूल प्रमाणपत्र (पैरा 14.8 के अनुसार) लाना चाहिए। जन्मतिथि के साक्ष्य के रूप में लाने वाले फोटो पहचान पत्र/ प्रमाणपत्र तथा प्रवेश प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्मतिथि बेमेल होने के मामले में अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बेंचमार्क दिव्यांगजन/ दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो प्रलिपिक की सुविधा का उपयोग करेंगे, उन्हें पैरा 7.1, 7.2 और 7.3 में यथा उल्लिखित चिकित्सा प्रमाणपत्र/वचनपत्र/प्रलिपिक के फोटो पहचानपत्र की फोटो कॉपी लानी होगी।

(त)	अंतिम परिणाम घोषित होने से पूर्व आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन विकल्प फॉर्म के माध्यम से अभ्यर्थियों से विभिन्न पदों और विभागों के लिए वरीयता ली जाएगी। एक अभ्यर्थी पर किसी पद और मंत्रालय/विभाग/संगठन के लिए विचार नहीं किया जाएगा, यदि उसने इसके लिए अपनी वरीयता का संकेत नहीं दिया है। एक बार प्रस्तुत किए गए विकल्पों को अंतिम माना जाएगा और बाद में किसी भी परिस्थिति में बदला नहीं जाएगा। अतः, अभ्यर्थियों को ऐसे विकल्पों के प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। अभ्यर्थी, जो निर्धारित समय के भीतर आयोग की वेबसाइट पर अपनी पद वरीयता (ओं) को जमा नहीं करते हैं, अंतिम परिणाम में उनके नाम पर किसी भी पद के लिए विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को पदों के लिए वरीयता का प्रयोग करने का एक और अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा और इसके लिए अभ्यर्थी पूरी तरह से स्वयं जिम्मेदार होंगे। इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, दस्ती आदि किसी भी रूप में प्राप्त किसी भी शिकायत पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और इसे सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
(थ)	किसी प्रतिष्ठित नाम/फोटो के दुरुपयोग से नकली/जाली आवेदन/पंजीकरण करने के मामले में अभ्यर्थी/साइबर कैफे को उत्तरदायी समझा जाएगा तथा उनके खिलाफ साइबर/आईटी अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त विधिक कार्रवाई की जाएगी।
(द)	सभी पद अखिल भारतीय सेवा दायित्व (अ.भा.से.दा.) वाले हैं अर्थात् चयनित होने पर अभ्यर्थी को देश के किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए कहा जा सकता है।
(ध)	यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी टियर/स्तर में कट-ऑफ अंकों से अधिक अंक प्राप्त करता है और किसी कारण से तदनंतर स्तर/अंतिम चयन में अर्हता प्राप्त नहीं करता है, तो उसे परिणाम घोषित होने के दो महीने के भीतर या अगले स्तर की परीक्षा प्रारंभ होने से दो सप्ताह पहले, जो भी पहले हो, संबंधित क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालय में अभ्यावेदन करना चाहिए।
(न)	यदि किसी अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हो जाता है और परिणाम घोषित होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर उसे आयोग अथवा संबंधित प्रयोक्ता विभाग से कोई पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो उसे तत्काल संबंधित प्रयोक्ता विभाग से संपर्क करना चाहिए।
(प)	ऑनलाईन आवेदन-पत्र में, अभ्यर्थियों को जेपीईजी प्रारूप में स्कैन किए हुए रंगीन पासपोर्ट आकार की फोटो (20 केबी से 50 केबी) अपलोड करनी होगी। फोटोग्राफ तीन महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। फोटोग्राफ की छवि का आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) x 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। फोटोग्राफ बिना टोपी और चश्मे का होना चाहिए और सामने का दृश्य स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा उचित फोटोग्राफ अपलोड नहीं किया जाता है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। फोटोग्राफ के नमूने जो स्वीकार्य/अस्वीकार्य हैं, <u>अनुबंध-V</u> में दिए गए हैं।

अवर सचिव, भारत सरकार

03.04.2023

परीक्षार्थी की लिखने संबंधी शारीरिक सीमाओं के संबंध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/सुश्री/श्रीमती(दिव्यांग अभ्यर्थी का नाम), सुपुत्र/सुपुत्री
....., ग्राम/जिला/राज्य के निवासी हैं, जोकि
.....(दिव्यांगता प्रमाणपत्र में यथा-उल्लिखित दिव्यांगता का स्वरूप और उसकी
प्रतिशतता) से पीड़ित हैं, की जांच की है और उल्लेख करता हूं कि दिव्यांगता के कारण उनकी शारीरिक सीमाएं हैं
जिनसे उनकी लेखन क्षमताएं प्रभावित होती हैं।

हस्ताक्षर

सरकारी स्वास्थ्य संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक

नाम व पदनाम

सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य संस्थान का नाम एवं मुहर

स्थान:

तारीख:

टिप्पणी: संबंधित विषय/दिव्यांगता (अर्थात दृष्टि दिव्यांगता- नेत्र विशेषज्ञ, गति विषयक दिव्यांगता- अस्थि रोग विशेषज्ञ/पीएमआर) के विशेषज्ञ द्वारा ही प्रमाणपत्र दिया जाना चाहिए।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के तहत कवर किए गए विशिष्ट दिव्यांगता से संबंधित व्यक्ति, परन्तु जो उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किया गया है, अर्थात 40% से कम दिव्यांगता और जिसे लिखने में कठिनाई हो, के लिए प्रमाणपत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि, हमने श्री/ सुश्री / श्रीमती(अभ्यर्थी का नाम), सुपुत्र / सुपुत्री , निवासी(ग्राम / डाकघर / थाना / जिला / राज्य), आयु वर्ष, (दिव्यांगता / स्थिति की प्रकृति) से पीड़ित व्यक्ति की जांच की है, और उल्लेख करते हैं कि उनकी उपर्युक्त स्थिति के कारण उनकी लेखन संबंधी सीमाएं हैं जिससे उनकी लेखन क्षमता बाधित होती है। उन्हें परीक्षा लिखने के लिए प्रलिपिक की सहायता की आवश्यकता है।

2. उपर्युक्त अभ्यर्थी प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स, हियरिंग एड (नाम निर्दिष्ट करें) जैसी सहायिकाओं और सहायक उपकरणों का उपयोग करता है, जो प्रलिपिक की सहायता से परीक्षा में बैठने हेतु अभ्यर्थी के लिए आवश्यक है।

3. यह प्रमाणपत्र केवल भर्ती एजेंसियों, और साथ ही शैक्षणिक संस्थानों द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में बैठने के उद्देश्य से जारी किया जाता है और _____ (यह अधिकतम छह महीने या उससे कम की अवधि के लिए वैध है जैसा कि चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है) तक वैध है।

चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम))	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)
ऑर्थोपेडिक / पीएमआर विशेषज्ञ	नैदानिक मनोवैज्ञानिक / पुनर्वास मनोवैज्ञानिक/मनोचिकित्सक / विशेष शिक्षक	न्यूरोलॉजिस्ट (यदि उपलब्ध है)	व्यावसायिक चिकित्सक (यदि उपलब्ध है)	अध्यक्ष द्वारा मनोनीत अन्य विशेषज्ञ (यदि कोई है)
(हस्ताक्षर और नाम)				
मुख्य चिकित्सा अधिकारी / सिविल सर्जन / मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी अध्यक्ष				

मोहर के साथ सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का नाम

स्थान:

तारीख:

अनुबंध-II

स्वयं के प्रलिपिक का उपयोग करने हेतु वचन-पत्र

मैं (दिव्यांगता का स्वरूप) दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्ति हूं, जिसका..... (जिले का नाम) (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम) में स्थित(केंद्र का नाम) में अनुक्रमांक है। मेरी शैक्षिक योग्यता है।

मैं सूचित करता/करती हूं कि (प्रलिपिक का नाम) अधोहस्ताक्षरी को पूर्वोक्त परीक्षा में प्रलिपिक/रीडर/प्रयोगशाला सहायक की सेवा प्रदान करेंगे/करेंगी।

मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि उनकी शैक्षिक योग्यता है। यदि बाद में यह पता चलता है कि उनकी शैक्षिक योग्यता मेरे द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार नहीं है और मेरी शैक्षिक योग्यता से अधिक है, तो मुझे इस पद और इससे संबंधित दावे का अधिकार नहीं होगा।

(दिव्यांग अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

स्थान:

तारीख:

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के तहत कवर किए गए विशिष्ट दिव्यांगता से संबंधित व्यक्ति, परन्तु जो उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किया गया है, अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता और जिसे लिखने में कठिनाई हो, द्वारा वचनपत्र।

मैं _____, _____ (दिव्यांगता / स्थिति की प्रकृति) से पीड़ित अभ्यर्थी,
_____ जिला,..... (राज्य का नाम) में स्थित
.....(केंद्र का नाम),से _____ (परीक्षा का नाम) में
बैठ रहा हूं, जिसका रोल नंबर _____ है। मेरी शैक्षिक योग्यता है।

2. मैं एतद्द्वारा व्यक्त करता हूं कि _____ (प्रलिपिक का नाम) उपरोक्त परीक्षा देने के लिए अधोहस्ताक्षरी के लिए प्रलिपिक की सेवा प्रदान करेगा।

3. मैं एतद्द्वारा वचन देता हूं कि उसकी शैक्षिक योग्यता _____ है। यदि बाद में यह पाया जाता है कि उसकी शैक्षिक योग्यता मेरे द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार नहीं है और उसकी योग्यता मेरी योग्यता से अधिक है, तो मैं पद या प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री और उससे संबंधित दावों पर अपना अधिकार खो दूंगा।

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

(यदि अभ्यर्थी अवयस्क है तो माता-पिता/अभिभावक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर)

स्थान:

तारीख:

(ऑनलाइन आवेदन -पत्र भरने की प्रक्रिया)

परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया के दो भाग हैं:

I. एक बारगी पंजीकरण

II. परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरना

भाग -I (एक बारगी पंजीकरण)

1. कृपया ऑनलाइन 'पंजीकरण-प्रपत्र' और 'आवेदन-पत्र' भरने से पहले परीक्षा की विज्ञप्ति में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।
2. एकबारगी पंजीकरण भरने से पहले निम्नलिखित सूचनाएं/दस्तावेज तैयार रखें:
 - क. मोबाइल नंबर (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)।
 - ख. ईमेल आईडी (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)।
 - ग. आधार संख्या । यदि आधार संख्या उपलब्ध नहीं है, तो कृपया निम्नलिखित आईडी नंबरों में से एक दें। (आपको बाद में मूल दस्तावेज को दिखाना होगा ।)
 - i. वोटर आईडी कार्ड
 - ii. पैन
 - iii. पासपोर्ट
 - iv. ड्राइविंग लाइसेंस
 - v. स्कूल / कॉलेज आई डी
 - vi. नियोक्ता आईडी (सरकारी/ पीएसयू/ प्राइवेट)
 - घ. बोर्ड, रोल नंबर और मैट्रिक (10वीं) की परीक्षा पास करने के वर्ष के बारे में जानकारी।
 - ड. दिव्यांगता प्रमाणपत्र संख्या, यदि आप किसी बेंचमार्क दिव्यांगता से पीड़ित हैं।
3. एक बारगी पंजीकरण के लिए, <http://ssc.nic.in> पर 'Login' सेक्शन में दिए गए लिंक 'Register Now' पर क्लिक करें।
4. एक बारगी पंजीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित सूचनाएं भरनी होंगी:
 - क. प्रारंभिक विवरण
 - ख. अतिरिक्त जानकारियां तथा संपर्क विवरण
 - ग. घोषणा ।
5. 'एक बारगी पंजीकरण प्रपत्र' भरने के लिए कृपया निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करें :
 - क. किसी गलती से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विवरणों (अर्थात आधार संख्या, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि इत्यादि) की प्रविष्टि पंजीकरण प्रपत्र के संगत कॉलमों में दो बार की जानी

अपेक्षित है। यदि मूल डाटा और सत्यापन डाटा कॉलम मेल नहीं खाते हैं तो इसे स्वीकृत नहीं किया जाएगा और इसका संकेत लाल रंग के पाठ में दिया जाएगा।

- ख. क्रम संख्या-1: आधार संख्या/ पहचान पत्र और इसकी संख्या के बारे में जानकारी प्रदान करें। इन नंबरों में से कोई एक नंबर दिया जाना अपेक्षित है।
- ग. क्रम संख्या-2: अपना नाम **ठीक** वैसा ही भरें जैसा मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाणपत्र में दिया गया है। यदि मैट्रिकुलेशन के पश्चात आपने अपने नाम में कोई बदलाव किया है, तो कृपया इसका उल्लेख 2ग और 2घ में करें।
- घ. क्रम संख्या-3: अपने पिता का नाम **ठीक** वैसा ही भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाणपत्र में दिया गया है।
- ङ. क्रम संख्या-4: अपनी माता का नाम **ठीक** वैसा ही भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाणपत्र में दिया गया है।
- च. क्रम संख्या-5: अपनी जन्मतिथि **ठीक** वैसी ही भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाणपत्र में दी गई है।
- छ. क्रम संख्या-6: मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के विवरण में निम्नलिखित शामिल है:
- i. शिक्षा बोर्ड का नाम
 - ii. रोल नंबर
 - iii. उत्तीर्ण होने का वर्ष
- ज. क्रम संख्या-7: लिंग
- झ. क्रम संख्या-8: शैक्षणिक योग्यता का स्तर (उच्चतम)
- ञ. क्रम संख्या-9: आपका मोबाइल नंबर। यह एक सक्रिय मोबाइल नंबर होना चाहिए क्योंकि इसे 'वन टाइम पासवर्ड' (ओटीपी) के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। इस बात पर ध्यान दिया जाए कि कोई भी जानकारी जो आयोग संप्रेषित करना चाहता है, केवल इस मोबाइल नंबर पर ही भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपका मोबाइल नंबर उपयोग किया जाएगा।
- ट. क्रम संख्या-10: आपका ईमेल आईडी। यह एक सक्रिय ईमेल आईडी होना चाहिए क्योंकि इसे ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। यह भी ध्यान दिया जाए कि आयोग जो भी जानकारी आपको देना चाहेगा, केवल इसी ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड / पंजीकरण संख्या की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपकी ईमेल आईडी का उपयोग किया जाएगा।
- ठ. अपने स्थायी पते का राज्य / संघ राज्य राज्यक्षेत्र का विवरण प्रदान करें।
- ड. जब क्रम संख्या 1 से 10 में प्रदान किए गए मूल विवरण को सहेजा जाता है, तो आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की पुष्टि करने की आवश्यकता होगी। पुष्टि होने पर, आपका डाटा सहेजा जाएगा तथा आपका पंजीकरण संख्या स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा। आपका पंजीकरण संख्या और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेज दिए जाएंगे।
- ढ. आपको 14 दिनों के भीतर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी जिसमें विफल होने पर आपके अब तक के सहेजे गए पंजीकरण विवरण हटा दिए जाएंगे।

- ण. अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी को यूजर नाम और आपके मोबाइल और ईमेल पर आपको प्रदान किए गए ऑटो जेनरेटेड पासवर्ड का उपयोग करके लॉगइन करें। पहले लॉगिन पर संकेत मिलने पर अपना पासवर्ड बदलें।
- त. पासवर्ड के सफलतापूर्वक परिवर्तन करने के बाद, अपनी पंजीकरण संख्या और बदले गए पासवर्ड का उपयोग करके आपको फिर से लॉगिन करना होगा।
- थ. सफलतापूर्वक लॉगइन करने पर, आपके द्वारा अभी तक की 'प्रारंभिक सूचनाओं' के बारे में भरी गई जानकारी प्रदर्शित होगी। यदि आवश्यक हो तो इसमें संशोधन करें अथवा नीचे दिए गए 'नेक्स्ट' बटन को क्लिक करके पंजीकरण पूरा करने के लिए आगे बढ़ें।
- द. क्रम संख्या-11: अपनी श्रेणी के बारे में जानकारी प्रदान करें।
- ध. क्रम संख्या-12: अपनी राष्ट्रीयता के बारे में जानकारी प्रदान करें।
- न. क्रम संख्या-13: दृश्यमान पहचान चिह्न के बारे में जानकारी प्रदान करें। आपको परीक्षा के विभिन्न चरणों में उपरोक्त पहचान चिह्न दिखाना पड़ सकता है।
- प. क्रम संख्या-14: कृपया यदि कोई विशिष्ट दिव्यांगता हो तो उसकी जानकारी दें। यदि आप किसी बैचमार्क दिव्यांगता से पीड़ित हैं, जोकि सरकारी नौकरियों के लिए उपयुक्त हो, तो दिव्यांगता प्रमाणपत्र संख्या प्रदान करें।
- फ. क्रम संख्या:15 से 18: अपने स्थायी और वर्तमान पते के बारे में जानकारी प्रदान करें। डेटा को सहेजें और पंजीकरण प्रक्रिया के अंतिम भाग को भरने के लिए आगे बढ़ें।
- ब. प्रदान की गई जानकारी को सहेजें। ड्राफ्ट प्रिंटआउट लें और 'Final Submit' से पहले, प्रदान की गई जानकारी की अच्छी तरह से समीक्षा करें।
- भ. 'घोषणा' को सावधानीपूर्वक पढ़ें और यदि आप उक्त घोषणा से सहमत हैं तो 'मैं सहमत हूँ' पर क्लिक करें।
- म. 'Final Submit' पर क्लिक करने पर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर अलग-अलग ओटीपी भेजे जाएंगे। पंजीकरण प्रक्रिया पूरा करने के लिए आपको इन दो ओटीपी में से एक ओटीपी डालना होगा।
6. यद्यपि आप अपने एक बारगी पंजीकरण में संशोधन कर सकते हैं, तथापि अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि एक बारगी पंजीकरण करने के दौरान अत्यंत सावधानी बरतें। गलत या त्रुटिपूर्ण सूचना से आपकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।
7. आपको पुनः सलाह दी जाती है कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, मैट्रिक परीक्षा का विवरण ठीक वैसा ही भरें जैसा कि आपके मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में दर्ज है। गलत / त्रुटिपूर्ण सूचनाएं देने पर आपकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है।
8. प्रारंभिक सूचना प्रस्तुत करने के बाद यदि आप पंजीकरण प्रक्रिया को 14 दिनों के भीतर पूरा नहीं करते हैं तो आपका डाटा प्रणाली से हटा दिया जाएगा।

BASIC DETAILS

NOTE: Candidates must be cautious while filling up Registration details. Your candidature may get cancelled in case incorrect/ wrong information is furnished.

1. Do you have Aadhaar ? * Yes No

1a. Aadhaar Number
Aadhaar Number should be same as mentioned in Aadhaar Card

1b. Verify Aadhaar Number

1c. Type of ID * ▼
Type of ID and ID Number to be provided if you don't want to give Aadhaar number

1d. ID Number *

2a. Name *
1. Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate
2. Please enter name without any salutation (i e Shri/ Smt/ Mr/ Mrs/ Ms/ Dr/ Prof)

2b. Verify Name *

2c. Have you ever changed Name? Yes No

2d. New Name / Changed Name

3a. Father's Name *
1. Father's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate
2. Please enter name without any salutation (i e Mr/ Shri/ Late/ Dr/ Prof etc

3b. Verify Father's Name *

4a. Mother's Name *
1. Mother's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate
2. Please enter name without any salutation (i e Mrs/ Ms/ Smt/ Late/ Dr/ Prof etc

4b. Verify Mother's Name *

5a. Date of Birth (DD/MM/YYYY) *
Date of Birth should be same as mentioned in Matriculation Certificate

5b. Verify Date of Birth (DD/MM/YYYY) *

6. Matriculation (10th Class) Examination details :

(i). Education Board * ▼
Education Board of Matriculation Examination

(ii). Verify Education Board * ▼

(iii). Roll Number *
1. Roll Number should be same as mentioned in Matriculation Certificate
2. Only / and - are allowed , Please enter Roll number without any other special character(s)
3. If Roll Code is given in your Matriculation Certificate then enter "Roll Code - Roll No."

अनुबंध-III क (2/4)

(iv). Verify Roll Number *	<input type="text" value="301739"/>
(v). Year of Passing *	<input type="text" value="2013"/>
(vi). Verify Year of Passing *	<input type="text" value="2013"/>
7a. Gender *	<input checked="" type="radio"/> Male <input type="radio"/> Female <input type="radio"/> Transgender
7b. Verify Gender *	<input checked="" type="radio"/> Male <input type="radio"/> Female <input type="radio"/> Transgender
8. Level of Educational Qualification *	<input type="text" value="Graduation"/>
9a. Mobile Number *	<input type="text" value="8111111111"/>
9b. Verify Mobile Number *	<input type="text" value="8111111111"/>
10a. Email ID *	<input type="text" value="sample123@gmail.com"/>
10b. Verify Email ID *	<input type="text" value="sample123@gmail.com"/>
• State / UT of Permanent Address *	<input type="text" value="Delhi"/>

ADDITIONAL AND CONTACT DETAILS

Edit

11a. Category * General EWS OBC ST SC

11b. Verify Category * General EWS OBC ST SC

12. Nationality *

13. Identification Marks *

14a. Are you a Person with Benchmark Disability (PwBD)? * Yes No

14b. Type of Disability

NOTE

VH: Blindness and low vision.

HH: Deaf and hard of hearing.

OH: Locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy.

Others: Autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness, multiple disabilities from amongst persons under the above mentioned clauses including deaf-blindness.

14c. Disability Certificate Number

15a. Permanent Address *

15b. State/ UT *

15b. State/ UT *

15c. District *

15d. PIN Code *

16. Is Present Address same as Permanent Address? Yes No

17a. Present Address *

17b. State/ UT *

17c. District *

17d. PIN Code *

18. Contact details for other nationals

Previous Save Next Reset Close

DECLARATION

Declaration : I hereby declare that the information given by me in this form is true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, my candidature/appointment is liable to be cancelled/terminated.

I Agree.

Previous

Take Draft Print

Final Submit

Close

भाग-II (ऑनलाइन आवेदन-पत्र)

1. ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू करने के पूर्व निम्नलिखित डाटा तैयार रखें:
 - क. हाल का (अर्थात परीक्षा विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से तीन महीने से ज्यादा पुरानी नहीं) जेपीईजी प्रारूप में स्कैन किया गया पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो (20 केबी से 50 केबी)। फोटो का छवि आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) X 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। फोटो बिना टोपी पहने, बिना चश्मे लगाए होनी चाहिए और दोनों कान दिखाई देने चाहिए। **धुंधली फोटो वाले आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा उचित फोटो अपलोड नहीं की जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। स्वीकृत/ अस्वीकृत फोटोग्राफ के नमूने अनुबंध-V में दिए गए हैं।**
 - ख. जेपीईजी फार्मेट में स्कैन किए गए हस्ताक्षर (10 से 20 केबी)। हस्ताक्षर छवि का आयाम लगभग 4.0 सेमी (चौड़ाई) X 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। **अस्पष्ट हस्ताक्षर वाले आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा।**
 - ग. अर्हक शैक्षिक योग्यता का ब्योरा जैसे उत्तीर्ण करने का वर्ष, अनुक्रमांक संख्या, प्रतिशत/ सीजीपीए, विश्वविद्यालय का नाम इत्यादि।
2. अपनी 'पंजीकृत संख्या' और पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाइन सिस्टम में लॉगइन करें।
3. 'Latest Notification' टैब के अंतर्गत '**Combined Graduate Level Examination 2023**' सेक्शन में 'Apply' लिंक पर क्लिक करें।
4. क्रम संख्या- 1 से 14 कॉलम में जानकारी स्वचालित रूप से आपके एकबारगी पंजीकरण डाटा से भर जाएगी जिसका संपादन नहीं किया जा सकता है। **तथापि, यदि आप एकबारगी पंजीकरण के किसी भी ब्योरे में परिवर्तन करना चाहते हैं तो अपने लॉगिन स्क्रीन के बाएं हाथ के कोने में प्रदान की गई 'Modify Registration' टैब पर क्लिक करें और आगे बढ़ाने से पहले उपर्युक्त संशोधन कर लें।**
5. क्रम संख्या-15: परीक्षा केंद्रों के लिए अपनी वरीयता दें। आप एक ही क्षेत्र के भीतर परीक्षा केंद्र चुन सकते हैं। वरीयता के क्रम में सभी तीन केंद्रों के लिए विकल्प दिया जाना चाहिए।
6. क्रम संख्या-16: यदि आप एक भूतपूर्व सैनिक हैं या सशस्त्र सेना में कार्यरत हैं, तो आवश्यक जानकारी भरें। सैनिकों / भूतपूर्व सैनिकों के पारिवारिक सदस्यों को भूतपूर्व सैनिक नहीं माना जाता है और इसलिए उन्हें 'No' विकल्प चुनना चाहिए।
7. क्रम संख्या-17.1: सूचना प्रदान करें कि आप दृष्टिहीनता (दृ.दि.) की श्रेणी में बेंचमार्क दिव्यांग (40 प्रतिशत या उससे अधिक) हैं या नहीं। क्रम सं. 9.1 के अनुसार यह विकल्प केवल बेंचमार्क दिव्यांगन – अन्य अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध रहेगा। क्रम सं. 17.1 में 'Yes' का चयन करने वाले अभ्यर्थी प्रलिपिक/प्रतिपूरक समय के लिए पात्र होंगे, तथापि इन अभ्यर्थियों को परीक्षा के समय कम से कम 40

- प्रतिशत दृ.दि. (दृष्टिहीनता /अल्प दृ.) के साथ बहु दिव्यांगता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। कृपया परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा 7.1 का संदर्भ लें।
8. क्रम संख्या-17.2: सूचना प्रदान करें कि आप, अस्थि दिव्यांग- दोनों बांह प्रभावित (अ.दि.- दो.बा.) अथवा अस्थि दिव्यांगता- प्रमस्तिष्क पक्षाघात (अ.दि.- प्र.प.) की श्रेणी में बेंचमार्क दिव्यांग (40 प्रतिशत या उससे अधिक) हैं या नहीं। क्रम सं. 9.1 के अनुसार यह विकल्प केवल बेंचमार्क दिव्यांजन – अ.दि. और बेंचमार्क दिव्यांजन – अन्य अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध रहेगा। क्रम सं. 17.1 में ‘Yes’ का चयन करने वाले अभ्यर्थी प्रलिपिक/प्रतिपूरक समय के लिए पात्र होंगे, तथापि इन अभ्यर्थियों को परीक्षा के समय कम से कम 40 प्रतिशत अ.दि.- दो.बा. अथवा अ.दि.- प्र.प. दिव्यांगता के साथ दिव्यांगता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। कृपया परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा 7.1 का संदर्भ लें।
 9. क्रम संख्या-17.3: परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा 7.2 अथवा 7.3 के अनुसार यदि आप शारीरिक रूप से लिखने में सक्षम नहीं है और आपकी तरफ से लिखने के लिए प्रलिपिक की आवश्यकता है, तो चयन करें। यह विकल्प उन अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होगा जो क्रम सं. 9.1 के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांजन – दृ.दि. अभ्यर्थी हैं अथवा जिन्होंने क्रम सं. 17.1 या 17.2 में ‘Yes’ का चयन किया हो। यह विकल्प अन्य बेंचमार्क दिव्यांजन तथा गैर बेंचमार्क दिव्यांजन सभी अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध रहेगा। क्रम सं. 9 के अनुसार, क्रम सं. 17.3 में ‘Yes’ का चयन करने वाले बेंचमार्क दिव्यांजन अभ्यर्थी प्रलिपिक/प्रतिपूरक समय के लिए पात्र होंगे, तथापि इन अभ्यर्थियों को परीक्षा के समय, परीक्षा विज्ञप्ति के अनुबंध-I के प्रारूप के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। क्रम सं. 9 के अनुसार, बेंचमार्क दिव्यांजन से भिन्न अभ्यर्थी (अर्थात 40 प्रतिशत कम दिव्यांगता वाले) जिन्होंने क्रम सं. 17.3 में ‘Yes’ का चयन किया है, प्रलिपिक/प्रतिपूरक समय के लिए पात्र होंगे, तथापि इन अभ्यर्थियों को परीक्षा के समय, परीक्षा विज्ञप्ति के अनुबंध-I के प्रारूप के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। कृपया अधिक जानकारी के लिए परीक्षा की विज्ञप्ति का पैरा-7.2 और 7.3 देखें।
 10. क्रम संख्या-17.4 से 17.6: यदि आप परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा-7 के अनुसार प्रलिपिक की सुविधा का लाभ उठाने के पात्र हैं, तो प्रलिपिक की आवश्यकता के बारे में जानकारी प्रदान करें। ये विकल्प केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध रहेगा जिन्होंने क्रम सं. 17.1 अथवा 17.2 या 17.3 में ‘Yes’ का चयन किया हो।
 11. क्रम संख्या-18.1: यदि आप सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी के पद हेतु आवेदन कर रहे हैं तो ‘Yes’ का चयन करें। आपके पास उक्त पद के लिए आवश्यक वांछित शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए और क्रम संख्या-18.2 पर ‘Yes’ का चयन करें।
 12. क्रम संख्या-19.1: यदि आप भारत के महापंजीयक के कार्यालय में सांख्यिकी अन्वेषक ग्रेड-II के पद हेतु आवेदन कर रहे हैं तो ‘Yes’ का चयन करें। आपके पास उक्त पद के लिए आवश्यक वांछित शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए और क्रम संख्या-19.2 पर ‘Yes’ का चयन करें।
 13. क्रम संख्या-20: यदि आप आयु में छूट चाहते हैं तो उपयुक्त आयु संबंधी छूट श्रेणी का चयन करें।
 14. क्रम संख्या-21: कृपया अपनी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख करें।
 15. क्रम संख्या-22: अर्हक शैक्षिक योग्यता का ब्योरा प्रदान करें।

16. क्रम संख्या-23: कृपया परीक्षा की विज्ञप्ति का पैरा संख्या: 21 देखें और तदनुसार भरें।
17. क्रम संख्या- 24, 25 और 26 : वर्तमान और स्थायी पता से संबंधित जानकारी एकबारगी पंजीकरण डाटा से स्वतः भर जाएगी।
18. अपना हाल का बिना टोपी/ बिना चश्मे वाला फोटोग्राफ अपलोड करें (परीक्षा विज्ञप्ति प्रकाशित होने के तीन महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए) जैसा कि उपर्युक्त क्रम संख्या-1क पर निर्दिष्ट किया गया है। धुंधले फोटोग्राफ वाले आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा। स्वीकार्य / अस्वीकार्य फोटोग्राफ के नमूने अनुबंध-V में दिए गए हैं। अभ्यर्थी उसी का संदर्भ लें।
19. अपने हस्ताक्षर अपलोड करें, जैसाकि क्रम संख्या-1ख पर निर्दिष्ट किया गया है। धुंधले हस्ताक्षर वाले आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा।
20. क्रम संख्या-27: उपर्युक्त अपलोड किया गया फोटोग्राफ परीक्षा विज्ञप्ति जारी होने के तीन महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। यदि अपलोड किया गया फोटोग्राफ परीक्षा विज्ञप्ति जारी होने के तीन महीने से ज्यादा पुरानी नहीं है तो 'Yes' का चयन करें।
21. घोषणा को सावधानीपूर्वक पढ़ें और यदि आप उससे सहमत हैं तो "मैं सहमत हूँ" चेक बॉक्स पर क्लिक करें। कैप्चा कोड भरें।
22. आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी का पूर्वावलोकन और सत्यापन करें। अगर आप किसी भी प्रविष्टि में संशोधन करना चाहते हैं तो 'Edit/Modify' बटन दबाएं और आगे बढ़ने से पहले अपेक्षित संशोधन कर लें। जब आप संतुष्ट हो जाएं कि जानकारी सही तरीके से भरी गई है तो जानकारी का पूर्वावलोकन और सत्यापन करें और आवेदन 'सबमिट' करें। आवेदन जमा करने के बाद आप ऑनलाइन आवेदन में कोई भी संशोधन नहीं कर पाएंगे।
23. यदि आपको शुल्क के भुगतान से छूट नहीं दी गयी है तो शुल्क भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें।
24. शुल्क का भुगतान भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग, वीसा, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो, रूपे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का उपयोग करके या एसबीआई चालान जनरेट करके एसबीआई की शाखाओं में नकद जमा किया जा सकता है। शुल्क के भुगतान हेतु और अधिक जानकारी के लिए परीक्षा-विज्ञप्ति के पैरा-10 का संदर्भ लें।
25. जब आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट किया जाएगा, तो इसे 'अंतिम रूप से' स्वीकार किया जाएगा और आवेदन की स्थिति 'आवेदन प्राप्त (विषयवस्तु सत्यापित नहीं)' के रूप में इंगित की जाएगी। अभ्यर्थी को अपने स्वयं के रिकॉर्ड के लिए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेना चाहिए। किसी भी स्तर पर आयोग को 'आवेदन पत्र' का प्रिंटआउट जमा करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, ऑनलाइन आवेदन से संबंधित कोई भी शिकायत, अगर हो तो, उसके निपटान के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट प्रदान करना पड़ सकता है।

COMBINED GRADUATE LEVEL EXAMINATION, 2023

Instructions

PLEASE BE VERY CAREFUL WHILE FILLING THE APPLICATION FORM

1. Candidate's Name: (As per the Matriculation Certificate)	SAMPLE NAME
2. New / Changed Name:	
3. Father's Name:	SAMPLE FATHER NAME
4. Mother's Name:	SAMPLE MOTHER NAME
5. Date of Birth (DD/MM/YYYY) (As per the Matriculation Certificate):	02/01/1999
6. Age as on 01/08/2023:	24.6
7. Gender:	Male
8. Category:	UR
9. Whether Person with Benchmark Disability (PwBD)?:	No
9.1. If Yes, Type of Disability:	
10. Nationality:	Citizen of India
11. Mark of Visible Identification:	MOLE ON RIGHT CHEEK
12. Matriculation (10 th Class) Examination Board:	Central Board of Secondary Education (CBSE)
13. Matriculation (10 th Class) Roll No.:	301739
14. Matriculation (10 th Class) Year of Passing:	2013
15. Preference of Examination Centres:*	Center 1 <input type="checkbox"/> Center 2 <input type="checkbox"/> Center 3 <input type="checkbox"/>
16.1. Whether you are an Ex-Servicemen (ESM) or serving in the Armed Forces? :*	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
16.2. Date of Joining the Armed Forces (DD/MM/YYYY):	
16.3. Date of Discharge/ Likely Date of Discharge from the Armed Forces (DD/MM/YYYY):	
16.4. Length of service in the Armed Forces:	
16.5. Have you already joined a civil post by availing benefit of reservation for Ex-Serviceman (ESM) : Please refer to the Notice of Examination, Para-5.6	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
16.6. Date of Joining to Civil Post (DD/MM/YYYY):	

17.1. Are you a person with benchmark disabilities (40% or more) in the category of Blindness (VH)?
Please refer to the Notice of Examination, Para-7.1 Yes No

17.2. Are you a person with benchmark disabilities (40% or more) in the category of OH- Both Arms Affected (OH-BA) or OH- Cerebral Palsy (OH-CP)?
Please refer to the Notice of Examination, Para-7.1 Yes No

17.3. Do you have a physical limitation to write as per Para 7.2 or 7.3 of the Notice (Certificate to this effect from competent authority as per format at Annexure-I/ Annexure-IA to the Notice of Examination, would be required at the time of Examination.)? : Yes No

17.4. Whether scribe is required?: Yes No
Please see Para - 7 of the Notice

17.5. Will you make your own arrangement of Scribe?: Yes No

17.6. If Scribe is to be arranged by SSC, then indicate medium:

18.1. Are you also applying for the Post of Junior Statistical Officer (MoSPI): * Yes No

18.2. Do you possess EQ for the Post of Junior Statistical Officer (MoSPI): * Yes No

19.1. Are you also applying for the Post of Statistical Investigator Grade II (RGI): * Yes No

19.2. Do you possess EQ for the Post of Statistical Investigator Grade II (RGI): * Yes No

20.1. Whether seeking Age Relaxation? : * Yes No

20.2. If Yes, Age Relaxation code:
Please see Para - 5.2 of the Notice

21. Highest Educational Qualification: *

22. Details of Qualifying Educational Qualification: *

Status	Passing Year	State/ UT of Board/ University	Name of Board/ University	Roll No	Percentage	CGPA
<input type="text" value="--Select Statu"/>	<input type="text" value="--Select Year-"/>	<input type="text" value="--Select State--"/>	<input type="text" value="--Select a Board/ Univers"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

23. Do you want to make your personal information available for accessing job opportunities in terms of DoP&T's OM.No.39020/1/2016-Estt.(P) dated 21/06/2016? * Yes No
Please see Para - 21 of the Notice

24. Correspondence Address: Sample Permanent Address

State: Punjab

District: Patiala

Pin: 140401

25. Permanent Address HNOY
State: Andhra Pradesh
Pin: 530012
Mobile Number: 7890679091
Email: adityaxii@gmail1.com

26. Contact Details for Other Nationals:

Photograph And Signature

Upload a photograph without
Spectacles/Cap taken on or after 3-
January-2023*

Allowed File Size: 20 KB to 50 KB

Format: JPEG/ JPG

Image Size: About 3.5 cm (width) x
4.5 cm (height)

No file chosen

Upload Signature *

Allowed File Size: 10 KB to 20 KB

Format: JPEG/ JPG

Image Size: About 4.0 cm (width) x
2.0 cm (height)

No file chosen

27. Whether the photograph has been taken on or after 3-January-2023?: Yes No

Declaration

1. I have read the Notice of Examination and accept all the Terms & Conditions mentioned therein.
2. I hereby declare that all the statements made in this application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found suppressed/ false or incorrect at any stage or ineligibility being detected before or after the Examination, my candidature/ appointment is liable to be cancelled. I am willing to serve anywhere in India.
3. I declare that the photograph uploaded in the Application Form has been taken on or after the stipulated dated.
4. I agree to authorize SSC to use my Aadhaar data for verification purpose. *

*Verification will be subject to authorization from competent authority.

I Agree



Try Another

फोटोग्राफ के नमूने

स्वीकृत फोटोग्राफ



अस्वीकृत फोटोग्राफ के नमूने

अत्यधिक रंगीन




बहुत नजदीक



टोपी के साथ



धुंधले फोटोग्राफ



उल्टी फोटो



अत्यधिक गहरा रंग



धूप वाले चश्मे के साथ




तिरछी दृश्यमान फोटो



बहुत छोटी



चश्मे के साथ



विभिन्न पदों के लिए अनुमत्य बेंचमार्क दिव्यांगताओं का विवरण

आयोग दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. 38-16/2020-डीडी-III, दिनांक 04.01.2021 के अनुसार दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्लूडी) अधिनियम, 2016 के तहत अथवा मांगकर्ता विभागों / संगठनों द्वारा पहचान किए गए और सूचित किए गए विशिष्ट पदों के लिए विभिन्न बेंचमार्क दिव्यांगताओं के लिए पदों की उपयुक्तता पर विचार करेगा।

आयु में छूट चाहने वाले केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों द्वारा
प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाणपत्र का प्रपत्र

(उस विभाग या कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा भरा जाए जहां अभ्यर्थी कार्यरत हैं)

यह प्रमाणित किया जाता है कि *श्री/श्रीमती/कुमारी _____ केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी हैं जो _____ रू. के वेतनमान में _____ के पद पर अंतिम तारीख के अनुसार इस ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हैं।

_____ (परीक्षा नाम) के लिए आवेदन पत्र।

हस्ताक्षर _____

नाम _____

कार्यालय की मुहर _____

स्थान:

दिनांक:

(* कृपया जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें)

सेवारत रक्षा कार्मिकों के लिए प्रमाणपत्र का प्रपत्र

मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार (नंबर) _____
(रैंक) _____ (नाम) _____ (दिनांक) _____ को सशस्त्र सेना में
अपनी नियुक्ति की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी कर लेंगे।

(कमान अधिकारी के हस्ताक्षर)

कार्यालय की मुहर

स्थान:

दिनांक:

भूतपूर्व सैनिकों द्वारा दिया जाने वाला वचन-पत्र

मैं, अनुक्रमांक.....

.....परीक्षा, 20 के दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित हुआ हूँ एतद्वारा वचनबद्ध हूँ कि:

(क) मैं समय समय पर यथा संशोधित केंद्रीय सिविल सेवा और डाक नियम, 1979, में भूतपूर्व सैनिकों के पुनः रोजगार के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को अनुमत लाभों का हकदार हूँ।

(ख) मैंने सिविल क्षेत्र (जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय / सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक, आदि सम्मिलित हैं) में भूतपूर्व-सैनिकों को पुनः रोजगार के लिए दिए गए आरक्षण का लाभ उठाते हुए समूह 'ग' तथा 'घ' पदों की सरकारी नौकरी में नियमित आधार पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है; अथवा

(ग) मैंने सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने दिनांकको कार्यालय मेंपद पर कार्यभार ग्रहण किया है। मैं एतद्वारा वचनबद्ध हूँ कि वर्तमान सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले वर्तमान नियोक्ता को उन सभी आवेदनों के बारे में स्व-घोषणा / वचन पत्र प्रस्तुत किया है जिनके लिए मैंने आवेदन किया है; अथवा

(घ) मैंने सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने दिनांकको कार्यालय मेंपद पर कार्यभार ग्रहण किया है। इसलिए, मैं केवल आयु में छूट पाने के लिए पात्र हूँ;

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण जहाँ तक मुझे पता है विश्वास है यथार्थ, पूर्ण और सही हैं। मैं समझता/समझती हूँ कि किसी भी स्तर पर किसी भी जानकारी के झूठा या गलत पाए जाने पर मेरी अभ्यर्थिता / नियुक्ति निरस्त/ समाप्त समझी जाएगी।

हस्ताक्षर:

नाम:

अनुक्रमांक:

दिनांक:

सशस्त्र बलों में नियुक्ति की तिथि:

कार्यमुक्ति की तिथि:

अंतिम यूनिट / कोर:

मोबाइल नंबर:

ईमेल आईडी:.....

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र का प्रारूप

जो अभ्यर्थी किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करते हैं, उन्हें अपने दावे के समर्थन में नीचे दिए गए प्रपत्र पर जिलाधिकारी या परगनाधिकारी या उस जिले जिसमें उनके माता-पिता (या जीवित माता-पिता) सामान्यतः रहते हों, के नीचे दिए गए किसी भी अधिकारी, जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकृत किया गया हो, से प्राप्त प्रमाणपत्र की एक अनुप्रमाणित/सत्यापित प्रति जमा करनी चाहिए। यदि उसके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो, तो प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उस जिले का होना चाहिए जिसमें अभ्यर्थी अपनी शिक्षा के उद्देश्य के अतिरिक्त सामान्यतः रहता हो। जहां कहीं फोटोग्राफ प्रमाणपत्र का आवश्यक अंग है, वहां आयोग ऐसे प्रमाणपत्रों की केवल प्रमाणित फोटो प्रतियां ही स्वीकार करेगा न कि कोई अन्य प्रमाणित या मूल प्रतिलिपि।

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी* _____ पुत्र/पुत्री _____
निवासी ग्राम/कस्बा* _____ जिला/संभाग* _____ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* _____ के
_____ अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित हैं जो निम्नलिखित आदेश के अंतर्गत अनुसूचित
जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है:-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 _____

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 _____

संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951* _____

संविधान (अनुसूचित जनजाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951* _____

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश, 1956 बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित।

संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956 _____

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन अधिनियम) 1976* द्वारा यथा संशोधित संविधान
(अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959 _____

संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश,1962
संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962@
संविधान(पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967@
संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश,1968@
संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश,1968@
संविधान(नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970@
संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978@
संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978@
संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989@
संविधान(अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1991@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1996@
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम, 2002@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002@
संविधान(अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2007@
%2 यह उन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के मामले में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवास कर गए हैं।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी* _____ के माता/पिता श्री/श्रीमती _____ निवासी _____
ग्राम/कस्बा* _____ जिला/संभाग* _____ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* _____ को जारी किए गए
अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया जाता है जो _____ जाति/
जनजाति से संबंधित हैं जो _____ दिनांक _____ द्वारा जारी राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित
जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

%3 श्री/श्रीमती/कुमारी _____ और/या* उनका परिवार सामान्यतः ग्राम/कस्बा* _____ जिला/संभाग*
_____ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र _____ में रहता है।

हस्ताक्षर.....

**पदनाम.....

(कार्यालय की मुहर सहित)

स्थान _____

दिनांक.....

*जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें।

@राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें।

% जो अनुच्छेद लागू न हो उसे काट दें।

टिप्पणी:- यहां प्रयुक्त शब्द सामान्यतः रहते हैं का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है।

****जाति/जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची:-**

- (i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के स्टार्डिपेंडरी मजिस्ट्रेट/सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट।
- (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट
- (iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो।
- (iv) क्षेत्र का सब डिविजनल आफीसर जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।

टिप्पणी:- तमिलनाडु राज्य के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को केवल राजस्व मंडलीय अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____ सुपुत्र/सुपुत्री _____

ग्राम/कस्बा _____ जिला/संभाग _____ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र _____ समुदाय से संबंधित हैं जो भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प सं _____ दिनांक _____* के अंतर्गत पिछड़ी जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। श्री/श्रीमती/कु० _____ तथा/या उनका परिवार सामान्यतः----- राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के ----- जिला/संभाग में रहता/रहते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं 36012/ 22/93-स्था (एससीटी), दिनांक 8.9.1993** की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हैं।

जिलाधीश

उपायुक्त आदि.....

दिनांक:

मुहर:

*प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के उस संकल्प का ब्यौरा उल्लेख करना होगा जिसमें अभ्यर्थी की जाति का अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में उल्लेख है।

** समय समय पर यथा संशोधित

टिप्पणी : यहां प्रयुक्त 'सामान्यतः' शब्द का वही अर्थ होगा जैसाकि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है।

..... सरकार

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम और पता)

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला आय और संपत्ति संबंधी प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या _____ दिनांक _____
वर्ष लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी
स्थायी निवासी _____ गाँव/गली _____ डाकघर
जिला _____ राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र
पिन कोड _____ जिनकी फोटो नीचे सत्यापित की गयी है, आर्थिक रूप से
कमजोर वर्ग से हैं क्योंकि वित्त वर्ष के लिए उनकी /उनके 'परिवार' ** की कुल वार्षिक आय* 8
लाख (केवल आठ लाख रुपये) से कम है। उनके/उसके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई संपत्ति नहीं है :

- I. 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि ;
- II. 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
- III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
- IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड ।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी _____ का संबंध _____ जाति से है जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केंद्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

कार्यालय की मुहर के साथ हस्ताक्षर.....

नाम

पद.....

आवेदक के हाल ही के पासपोर्ट

आकार की सत्यापित फोटो

* नोट 1: सभी स्रोतों अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि को शामिल करके कुल आय ।

** नोट 2: इस प्रयोजनार्थ 'परिवार' शब्द में वह व्यक्ति शामिल है जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन के साथ-साथ उसका पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे।

*** नोट 3: ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या अधिग्रहीत संपत्ति परीक्षण लागू करते समय विभिन्न स्थानों / शहरों में "परिवार" की सभी संपत्ति को शामिल कर लिया गया है ।

प्रपत्र-V

निःशक्तता प्रमाण पत्र

(विच्छेदन या अंग के पूरे स्थायी पक्षाघात के मामले या बौनेपन और नेत्रहीनता के मामले में)

(नियम 18(1) देखें)

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

दिव्यांग का हाल ही का पासपोर्ट
आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल
चेहरे का)

प्रमाण पत्र सं. ----- दिनांक -----

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी-----सुपुत्र/ पत्नी /
सुपुत्री -----जन्म तिथि ----- (दि/म/व) आयु -----
वर्ष पुरुष/ महिला----- पंजीकरण संख्या ----- मकान नं ----- वार्ड/गांव/गली ----- डाकघर
----- जिला ----- राज्य ----- के स्थायी निवासी हैं, जिनकी फोटो ऊपर चिपकायी गई है, की
सावधानीपूर्वक जांच की है और मैं संतुष्ट हूँ कि:-

(क) उनका मामला:

- गतिविषयक दिव्यांगता
- बौनापन
- नेत्रहीनता का है

(जैसा भी लागू हो, निशान लगाएं)

(ख) उनके मामले में ----- निदान किया गया है।

(ग) वे दिशानिर्देशों ----- (दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख) के अनुसार अपने -----
----- (शारीरिक अंग) (उल्लेख करें) के संबंध में ----- %(अंकों में) ----- % (शब्दों में) स्थायी
गतिविषय दिव्यांगता/बौनापन/नेत्रहीनता से पीड़ित हैं।

2. आवेदक ने आवास के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तारीख	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के
प्राधिकृत हस्ताक्षर एवं मुहर)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप
जिसके लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

प्रपत्र-VI

निःशक्तता प्रमाण पत्र

(बहु निःशक्तता संबंधी मामलों में)

(नियम 18(1) देखें)

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

दिव्यांग का हाल ही का पासपोर्ट
आकार का अनुप्रमाणित फोटो
(केवल चेहरे का)

प्रमाण पत्र सं. ----- दिनांक -----

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी----- सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री -----
-----जन्म तिथि ----- (दि/म/व) आयु ----- वर्ष पुरुष/ महिला-
----- पंजीकरण संख्या ----- मकान नं ----- वार्ड/गांव/गली ----- डाकघर ----- जिला -
----- राज्य ----- के स्थायी निवासी हैं, जिनकी फोटो ऊपर चिपकायी गई है, की सावधानीपूर्वक
जांच की है और मैं संतुष्ट हूँ कि:-

(क) उनका मामला बहु निःशक्तता है। उनकी शारीरिक निःशक्तता/दिव्यांगता का दिशानिर्देशों
(दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख) के अनुसार निम्नलिखित इंगित निःशक्तताओं के लिए
मूल्यांकन किया गया है और उसे निम्नलिखित सारणी में उपयुक्त निःशक्तता के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्र. सं.	निःशक्तता	शरीर के प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक क्षति/मानसिक दिव्यांगता (%में)
1.	गति विषयक दिव्यांगता	@		
2.	पेशी संबंधी कुपोषण			
3.	अभिसाधित कृष्ठ			
4.	बौनापन			
5.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात			
6.	तेजाब के हमले में जले			
7.	अल्प दृष्टि	#		
8.	नेत्रहीनता	#		
9.	बधिरता	£		
10.	श्रवण दिव्यांगता	£		
11.	वाक एवं भाषा संबंधी			
12.	बौद्धिक दिव्यांगता			
13.	विशिष्ट अभिगम दिव्यांगता			
14.	ऑटिस्म स्पेक्ट्रम विकार			

15. मानसिक बीमारी
16. चिरकालिक तंत्रिका संबंधी
17. मल्टीपल स्लेरोसिस
18. पार्किन्सन बीमारी
19. हेमोफिलिया
20. थेलेसेमिया
21. सिकल सेल डिजीज

(ख) उपर्युक्त के संदर्भ में, उसकी समग्र स्थायी शारीरिक दिव्यांगता दिशानिर्देशों (दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख) के अनुसार निम्नलिखित है:

अंको में प्रतिशत

शब्दों में प्रतिशत

2. उपर्युक्त स्थिति प्रगामी है/गैर-प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/ सुधार होने की संभावना नहीं है।

3. निःशक्तता का पुनःनिर्धारण:

(i) आवश्यक नहीं है

अथवा

(ii) वर्ष माह के पश्चात पुनःनिर्धारण की सिफारिश की जाती है और इसलिए यह प्रमाणपत्र (तारीख) (माह)(वर्ष) तक मान्य रहेगा।

@ अर्थात् बाएं/दाएं/दोनों बाहें/टांगे

अर्थात् एक आँख

£ अर्थात् बाएं/दाएं/दोनों कान

4. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तारीख	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

5. चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर

सदस्य का नाम और मुहर	सदस्य का नाम और मुहर	अध्यक्ष का नाम और मुहर

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप

जिसके लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

प्रपत्र-VII

निःशक्तता प्रमाण पत्र

(प्रपत्र V और VI में उल्लिखित मामलों को छोड़कर)

(नियम 18(1) देखें)

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

निःशक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाण पत्र सं. ----- दिनांक -----

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी----- सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री -----
-----जन्म तिथि ----- (दि/म/व) आयु ----- वर्ष पुरुष/ महिला-
----- पंजीकरण संख्या -----, जोकि मकान नं ----- वार्ड/गांव/गली ----- डाकघर -----
जिला ----- राज्य ----- के स्थायी निवासी हैं और जिनकी फोटो ऊपर चिपकायी गई है, की सावधानीपूर्वक जांच की है और मैं संतुष्ट हूँ कि वे निशक्तता से पीड़ित हैं। उनकी शारीरिक निःशक्तता/दिव्यांगता का दिशानिर्देशों (दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख) के अनुसार निम्नलिखित इंगित निःशक्तताओं के लिए मूल्यांकन किया गया है और उसे निम्नलिखित सारणी में उपयुक्त निःशक्तता के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्र. सं.	निःशक्तता	शरीर के प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक क्षति/ मानसिक दिव्यांगता(%में)
1.	गति विषयक दिव्यांगता	@		
2.	पेशी संबंधी कुपोषण			
3.	अभिसाधित कुष्ठ			
4.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात			
5.	तेजाब के हमले में जले पीड़ित			
6.	अल्प दृष्टि	#		
7.	बधिरता	€		
8.	श्रवण दिव्यांगता	€		
9.	वाक् एवं भाषा संबंधी दिव्यांगता			
10.	बौद्धिक दिव्यांगता			
11.	विशिष्ट अभिगम दिव्यांगता			

12.	ऑटिस्म स्पेक्ट्रम विकार			
13.	मानसिक बीमारी			
14.	चिरकालिक तंत्रिका संबंधी विकार			
15.	मल्टीपल स्लेरोसिस			
16.	पार्किन्सन बीमारी			
17.	हेमोफिलिया			
18.	थेलेसेमिया			
19.	सिकल सेल डिजीज			

(कृपया उन निशक्तताओं को काट दें जो लागू न हों)

2. उपर्युक्त स्थिति प्रगामी है/गैर-प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/ सुधार होने की संभावना नहीं है।

3. निःशक्तता का पुनःनिर्धारण:

(i) आवश्यक नहीं है

अथवा

(ii) वर्षमाह के पश्चात पुनःनिर्धारण की सिफारिश की जाती है और इसलिए यह प्रमाणपत्र
..... (तारीख) (माह)(वर्ष) तक मान्य रहेगा।

@ अर्थात् बाएं/दाएं/दोनों बाहें/टांगे

अर्थात् एक आँख/दोनों आँखें

€ अर्थात् बाएं/दाएं/दोनों कान

4. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तारीख	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

(नाम और मुहर)

{यदि प्रमाणपत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो सरकारी अधिकारी (मुहर के साथ) नहीं है, तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक/ सरकारी अस्पताल के अध्यक्ष के प्रतिहस्ताक्षर एवं मुहर}

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप जिसके लिए

दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

टिप्पणी: यदि प्रमाणपत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो सरकारी अधिकारी नहीं है, तो यह जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होने पर ही वैध होगा।

अनुबंध-XVI

कौशल परीक्षा (डाटा एंट्री कौशल परीक्षा) में बैठने से छूट चाहने वाले बैचमार्क दिव्यांगता वाले अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला चिकित्सा प्रमाणपत्र का प्रारूप

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कु.सुपुत्र / सुपुत्री/ पत्नी श्री
.....से पीड़ित है।

नैदानिक निदान के परिणामस्वरूप उन्हें निम्नलिखित दिव्यांगता है। (उनकी दिव्यांगताओं का संक्षिप्त विवरण)

.....
.....

..

यह एक स्थायी विकलांगता है और उसका / उसकी दिव्यांगता, दिव्यांगता की ____% है। इस दिव्यांगता से टंकण में बाधा उत्पन्न होने की संभावना है (विनिर्दिष्ट करें)

-

सिविल सर्जन का हस्ताक्षर: _____

नाम: _____

(कार्यालय की मोहर) _____

स्थान: _____

दिनांक: _____

शरीर के प्रभावित अंश
को स्पष्ट रूप से दर्शाते
हुए अभ्यर्थी का
फोटोग्राफ

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर:

नाम:

क. निरीक्षक (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/परीक्षक/निवारक अधिकारी), केन्द्रीय नार्कोटिक्स ब्यूरो में निरीक्षक तथा उप निरीक्षक के पद के लिए शारीरिक मानक:

पुरुष अभ्यर्थी:

(i) शारीरिक मानक:

ऊंचाई 157.5 से.मी. छाती 81 से.मी. (5 से.मी. के न्यूनतम विस्तार सहित पूर्ण रूप से विस्तारित)	गढ़वाल, असमी, गोरखा तथा अनुसूचित जन जाति के सदस्यों के मामले में ऊंचाई में 5 से.मी. की छूट है
---	---

(ii) शारीरिक परीक्षण:

चलना: 15 मिनट में 1600 मीटर

साइकिल चलाना: 30 मिनट में 8 कि.मी.

महिला अभ्यर्थी:

(i) शारीरिक मानक (न्यूनतम):

ऊंचाई 152 से.मी. वजन: 48 कि.ग्रा.	ऊंचाई में 2.5 से.मी. की छूट है। गोरखा, गढ़वाल, असमी, तथा अनुसूचित जन जाति के सदस्यों के लिए वजन में 2 किलोग्राम की छूट है
--------------------------------------	--

(ii) शारीरिक परीक्षण:

चलना: 20 मिनट में 1 कि.मी.

साइकिल चलाना: 25 मिनट में 3 कि.मी.

टिप्पणी: निरीक्षक (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/परीक्षक/निवारक अधिकारी), दिव्यांग जन के पद के लिए अभ्यर्थी को संबंधित पद के लिए यथानिर्धारित चिकित्सा मानकों अर्थात् ऊंचाई, छाती तथा वजन को पूरा करना होता है। तथापि, अस्थि दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक परीक्षा में निम्नलिखित छूट स्वीकार्य है:

(क) एक पैर तथा एक बांह एक पैर श्रेणी के मामले में “चलना” परीक्षा बाध्यकारी नहीं है।

(ख) एक बांह, एक पैर तथा एक बांह एक पैर श्रेणी के मामले में “साइकल चलाना” परीक्षा बाध्यकारी नहीं है।

ख. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में उप निरीक्षक के पद के लिए शारीरिक मानक:

(क) ऊंचाई

पुरुष के लिए -165 से.मी.

महिला के लिए -150 से.मी.

पहाड़ी तथा जनजाति समुदाय से संबंधित व्यक्ति के लिए ऊचाई में छूट: 5 से.मी.

(ख) छाती:

विस्तार सहित 76 से.मी. (महिला अभ्यर्थियों के मामले में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है)

(ग) दृष्टि:

नजर (चश्मा सहित अथवा बिना चश्मा के)

दूर दृष्टि: एक आंख में 6/6 तथा दूसरे आंख में 6/9

निकट दृष्टि: एक आंख में 0.6 तथा दूसरे आंख में 0.8

ग. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) में उप निरीक्षक के पद के लिए शारीरिक मानक:

(क) ऊचाई

पुरुष के लिए -170 से.मी.

महिला के लिए -150 से.मी.

पहाड़ी तथा जनजाति समुदाय से संबंधित व्यक्ति के लिए ऊचाई में छूट: 5 से.मी.

(ख) छाती:

विस्तार सहित 76 से.मी. (महिला अभ्यर्थियों के मामले में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है)

(ग) दृष्टि:

नजर (चश्मा सहित अथवा बिना चश्मा के)

दूर दृष्टि: एक आंख में 6/6 तथा दूसरे आंख में 6/9

निकट दृष्टि: एक आंख में 0.6 तथा दूसरे आंख में 0.8

घ. नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो, गृह मंत्रालय में उप निरीक्षक / कनिष्ठ आसूचना अधिकारी के पद के लिए शारीरिक मानक:

(क) ऊचाई

पुरुष के लिए -165 से.मी.

महिला के लिए -152 से.मी.

नोट: असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लाहुआल और स्पीति जिले और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के पांगी उप-मंडल, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के पहाड़ी व्यक्तियों और जनजाति के व्यक्तियों के लिए : 5 सेमी

(ख) छाती:

सभी अभ्यर्थियों के लिए 76 से.मी. (बिना फुलाए) 5 सेमी के विस्तार सहित (महिला अभ्यर्थियों के मामले में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है)

(ग) दृष्टि:

नजर (चश्मा सहित अथवा बिना चश्मा के)

दूर दृष्टि: एक आंख में 6/6 तथा दूसरे आंख में 6/9

निकट दृष्टि: एक आंख में 0.6 तथा दूसरे आंख में 0.8

टिप्पणी: अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी पद की श्रेणी हेतु विकल्प देने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वे उस श्रेणी की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक माप (जिसमें दृष्टि परीक्षा शामिल है), संबंधित मांगकर्ता विभागों द्वारा आयोजित की जाएगी तथा केवल वह अभ्यर्थी जो विनिर्दिष्ट शारीरिक माप को पूरा कर रहे हैं वही संबंधित पद के लिए पात्र होंगे। यदि नामित अभ्यर्थी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहता है तो पद की किसी अन्य सेवा/श्रेणी को आवंटित किए जाने के उसके अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। अतः पात्रता मानदंडों को पूरा करने का पूर्ण दायित्व केवल उन अभ्यर्थियों का है, जिन्होंने ऐसे पदों के लिए विकल्प दिया है।